वित्तीय शिक्षण

# अभ्यास पुस्तिका

दसवीं कक्षा

# वित्तीय शिक्षण अभ्यास पुस्तिका - दसवीं कक्षा हेतु

## प्रारूप संस्करण

**स्पष्टीकरण**

यह पुस्तक पाठक को वित्तीय मामलों के संबंध में साक्षर बनाने के निस्वार्थ प्रयोजनार्थ, अध्ययन एवं अध्यापन के लिए प्रस्तुत की जा रही है। किसी वित्तीय उत्पाद/उत्पादों या सेवा/सेवाओं के संबंध में कोई निर्णय लेने में, पुस्तक की किसी विषय–वस्तु से पाठक को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है ।


प्रकाशकः सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र
प्रीत विहार, दिल्ली–110301

रूपरेखा, विन्यास एवं
मुद्रण : राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र हेतु
राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान
भूखण्ड सं. 82,सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई–400703
फोन : +9122-66735100 | फैक्स : +9122-66735110

वेबसाइट : ncfeindia-org

# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण [1]प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
[2]और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई॰ को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

---

1. संविधान ( बयालीसवां संशोधन ) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा ( 3.1.1977 ) से "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान ( बयालीसवां संशोधन ) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा ( 3.1.1977 ) से "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

---

## भाग 4 क

# मूल कर्त्तव्य

**51 क. मूल कर्त्तव्य** – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छू ले;

[1](ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

---

1. संविधान ( छयासीवां संशोधन ) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

# THE CONSTITUTION OF INDIA

## PREAMBLE

**WE, THE PEOPLE OF INDIA,** having solemnly resolved to constitute India into a [1]**SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens :

**JUSTICE,** social, economic and political;

**LIBERTY** of thought, expression, belief, faith and worship;

**EQUALITY** of status and of opportunity; and to promote among them all

**FRATERNITY** assuring the dignity of the individual and the[2] unity and integrity of the Nation;

**IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY** this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

---

1. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

---

# THE CONSTITUTION OF INDIA

## Chapter IV A

## FUNDAMENTAL DUTIES

### ARTICLE 51A

**Fundamental Duties -** It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

[1](k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his/her child or, as the case may be, ward between age of 6 and 14 years.

---

1. Subs. by the Constitution (Eighty - Sixth Amendment) Act, 2002

# भूमिका

छठी से दसवीं कक्षाओं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्तीय शिक्षण पाठ्यक्रम की विशेषता उसकी सशक्त गतिशीलता, सतत् विकास और उन्नयन है। इस पाठ्यक्रम की रचना कार्यमूलक दृष्टिकोण को अपनाते हुए की गई है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के मौजूदा परिवेश में समाज, तीव्र ज्ञान–सृजन और घातांक रफ्तार से बढ़ती हुई तकनीक से प्रभावित होता है।

आधारभूत वित्तीय अवधारणाओं की अपनी समझ को बेहतर बनाने और अपने दैनिक जीवन में इन अवधारणाओं का समुचित उपयोग करने के लिए हमें वित्तीय शिक्षण की आवश्यकता है। हमें विभिन्न वित्तीय उत्पादों को जानने और वित्तीय जोखिमों एवं अवसरों से अधिकाधिक परिचित रहने की जरूरत है ताकि हम सभी सुविज्ञ निर्णय ले सकें और उसके परिणामस्वरूप अपने वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार कर सकें।

वित्तीय शिक्षण का लक्ष्य यह है कि विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुरूप जीवन में धन की भूमिका, बचत की जरूरत और उपयोग, अपनी बचतों को निवेशों में रूपान्तरित करने हेतु औपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा विभिन्न विकल्पों का प्रयोग, बीमा के माध्यम से सुरक्षा हेतु समझ और इन विकल्पों की विशेषताओं के वास्तविक महत्व को जान सकें।

वित्तीय शिक्षण से हमें, बचत के महत्व और उसके लाभों, ऐसे अनुत्पादक ऋणों से दूर रहने की आवश्यकता जो हमारी चुकाने की सामर्थ्य के बाहर हों, औपचारिक वित्तीय प्रणाली से उधार लेने, ब्याज की अवधारणा, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव, धन के समय–मूल्य, मुद्रा–स्फीति, बीमा की आवश्यकता, वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख संस्थानों जैसे मंत्रालयों, विनियामकों, बैंकों, शेयर बाजारों एवं बीमा कंपनियों की भूमिका और जोखिमों तथा पुरस्कारों के बीच संबंध की संकल्पना के बारे में अधिकाधिक जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।

इसके माध्यम से हम विभिन्न वित्तीय विनियामकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं का समुचित मूल्याकन कर धन का कारगर ढंग से प्रबंध करके स्वयं की और दूसरों की मदद कर सकते हैं।

वित्तीय शिक्षण विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगा जो अभी वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं।

इस अभ्यास पुस्तिका का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, विभिन्न प्रकार के उत्पादों की उपलब्धता तथा उनकी विशेषताओं के संबंध में विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना और वित्तीय सेवाओं के ग्राहक के रूप में उनके अधिकारों एवं दायित्वों को समझाना है।

यह विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को, अपने छात्रों को इसका लाभ देने के लिए पाठ्य–विषय के कारगर उपयोग, अध्यापन पद्धति, समूह कार्य एवं स्वतंत्र व्यक्ति गत कार्य के प्रबंधन, बड़ी कक्षाओं की व्यवस्था, मूल्यांकन प्रणाली के समुचित प्रयोग, ग्रेड प्रदान करने और अभिलेख प्रबंध के बारे में स्वयं को अवगत कराने की आवश्यकता है।

इस पुस्तक के रचना कार्य में साझीदारों – भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का, उनके बहुमूल्य समय और प्रयासों के लिए हम आभार प्रकट करते हैं।

पुस्तक का प्रस्तुतीकरण निश्चित रूप से सुश्री सुगंध शर्मा, अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवोन्मेष), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और श्री संदीप सेठी, शिक्षण अधिकारी एवं उनकी टीम के नेतृत्व निष्कपट प्रयासों तथा सत्यनिष्ठा के बिना कभी संभव नहीं हो पाता। पुस्तक के संबंध में सुझावों का स्वागत है, जिन्हें आगामी संस्करणों में शामिल किया जा सकता है।

# आभार

## परामर्श समिति

श्री वाई. एस. के. सेषु कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सुश्री सुगंध शर्मा, अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवोन्मेष), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
श्री डी. टी. सुदर्शन राव, संयुक्त सचिव तथा प्रभारी, (शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

## राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) परामर्श समिति

श्री संदीप घोष, निदेशक, रा. प्रति. बा. सं.,
श्री जी. पी. गर्ग, रजिस्ट्रार, एनआईएसएम तथा
श्री ज्ञानभूषण, कार्यपालक निदेशक, सेबी
श्री ए. जी. दास, मु. महा प्रबं., पीएफआरडीए
श्री टी वी राव, महाप्रबंधक, भा रि बैं
सुश्री केजीपीएल रमादेवी, उपनिदेशक, भा. बी. वि. और वि. प्रा.
डा. मीनू नंदराजोग, प्रोफे., एनसीईआरटीप्रधान, एनसीएफई
श्री संदीप सेठी, शिक्षा अधिकारी, सीबीएसई
सुश्री पूनम सोढ़ी, उप सचिव, सीआईएससीई

## निगरानी और संपादन बोर्ड

सुश्री शर्मिला रहेजा
डॉ. पारुल पाठक
सुश्री दिशा ग्रोवर
श्री श्रेय रहेजा
सुश्री सरीना पी. यू.
सुश्री रेशू सिंहल
सुश्री सौदामिनी अरविंद
श्री संदीप के बिस्वाल
सुश्री रेनू आनंद

## विद्यालयों का दल (सामग्री उत्पादन)

केंब्रिज स्कूल, गाजियाबाद
दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद
दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा मार्ग, दिल्ली
दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्रीनगर
दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसुंधरा, गाजियाबाद
डीएलएफ पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
केसरी देवी बजाज पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा मार्ग, दिल्ली
एन. एच. गोयल वर्ल्ड स्कूल, छत्तीसगढ़
संस्कृत स्कूल, दिल्ली
सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गाजियाबाद
शिव नाडर स्कूल, नोयडा
उत्तम बालिका विद्यालय, गाजियाबाद

**संकल्पना और रूपरेखा** : जितेंद्र कुमार सोलंकी, एनआईएसएम
**कविता** : तनीशा पुरी, आर एन पोद्दार स्कूल, मुंबई
**चित्रांकन** : माधव गुप्ता बाल भारती स्कूल, रोहिणी, दिल्ली
**लिखावट** : महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, जयपुर
**वर्ग पहेली, उलझे शब्द , एमसीक्यू** : रेशू सिंहल, अदनान कोहली, सादिक वजीर
रिया भूयान, दिव्या अग्रवाल, वेणी गुप्ता
मयंक पुगालिया, सात्विक भट्ट, अमन सुराना
संकेत शर्मा और यथार्थ श्रीधरन

# विषय–सूची


| विषय | प्रसंग | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| इतिहास 1 | भाग 1 : इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य (ई–कॉमर्स) | |
| | भाग 2 : सावधान! (ई–कॉमर्स) | |
| इतिहास 2 | भाग 1 : बीमा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी | |
| | भाग 2 : बीमा लोकपाल | |
| राजनीति शास्त्र 1 | पण्य वस्तु वायदा बाजार | |
| राजनीति शास्त्र 2 | भाग 1 : आर्थिक महामंदी | |
| | भाग 2 : शेयरों में निवेश | |
| | भाग 3 : आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) | |
| अर्थशास्त्र 1 | बीमा के फायदे | |
| अर्थशास्त्र 2 | भाग 1 : व्यापार (ट्रेड) विद्या | |
| | भाग 2 : स्टॉक बाजार और अर्थव्यवस्था | |
| गणित 1 | व्यापार और अमूर्त खाते | |
| गणित 2 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) | |
| | शिकायत निवारण | |

इस वर्ष हम सभी दसवीं कक्षा में पहुँच गए हैं, इस कक्षा के अंत में बोर्ड परीक्षा होने के बावजूद हम अपना कुछ मनोविनोद जारी रखेंगे।

हाँ, मनोविनोद हमें परीक्षा के दबाब का सामना करने के लिए तैयार करेगा। मैं अमूर्त स्वरूप का खाता खोलने में आपकी मदद करूँगा। और मैं आपको बीमा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, बीमा लोकपाल, शेयरों और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के बारे में बताऊँगा।

मैं, आपको शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) की शब्दावली जैसे एनएसई, बीएसई से परिचित कराऊँगा और एसईबीआई शिकायत निवारण के बारे में बताऊँगा।

हम आर्थिक चक्र और रोजगारी, बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों, ई–कॉमर्स और शेयर बाजारों की भूमिका के बारे में बात करेंगे।

मैं आपको एसईबीआई (सेबी), आईआरडीए, पीएफआरडीए, एफएमसी तथा और भी अनेक संस्थाओं की यात्रा कराऊँगी और पण्य वस्तुओं के वायदा बाजार के बारे में सीखने में मदद करूँगी।

# वित्तीय प्रबंधन के प्रतिबिंब

यहाँ सभी बाजार लबालब, डॉट–कॉम से भरे पड़े,
आर्थिक मंदी की मायूसी, कुछ वर्कशॉप हैं बंद पड़े।
ईक्विटी शेयर, अंकित मूल्य, शेयर बाजार के हैं तत्त्व,
अर्थ–विचार जरूरी, इनका जीवन में है बड़ा महत्तव।

ई–कॉमर्स की कोटि कई हैं, सीखें गोता खा कर अंदर,
शेयर बाजार के कार्य, भूमिका व्याख्या होगी क्लास के अंदर।
अर्थव्यवस्था करें स्पर्धा, कौन इसे भड़काए,
पदाधिकारी सौ या पाँच या गुप्त सहमति किसी की आए।

खाते अमूर्त रूप खोलना, कंपनी शेयर अध्ययन,
दूर करेगा गलत बोध सब मुक्त करेगा वित्तीय शिक्षण।

चालू खाता, अमूर्त खाता और क्या है उनमें अंतर,
सवाल पूछें, बाधा जीतें, आप बनाएं अपना मंतर।

हम सब चाहें वित्त आजादी, यह पूरी पुस्तक करें मनन,
दास नहीं तुम वीर, चतुर और बड़े बनोगे पास तुम्हारे होंगे मिलियन।

दीप्त विश्व, विस्तार, वृद्धि है, आओ जानें हम दुनियाँ को,
करें शुरू, ज्ञानार्जन पूरा, फिर हम सिखलाएं दुनियाँ को।

# नवीं कक्षा का पुनरावलोकन

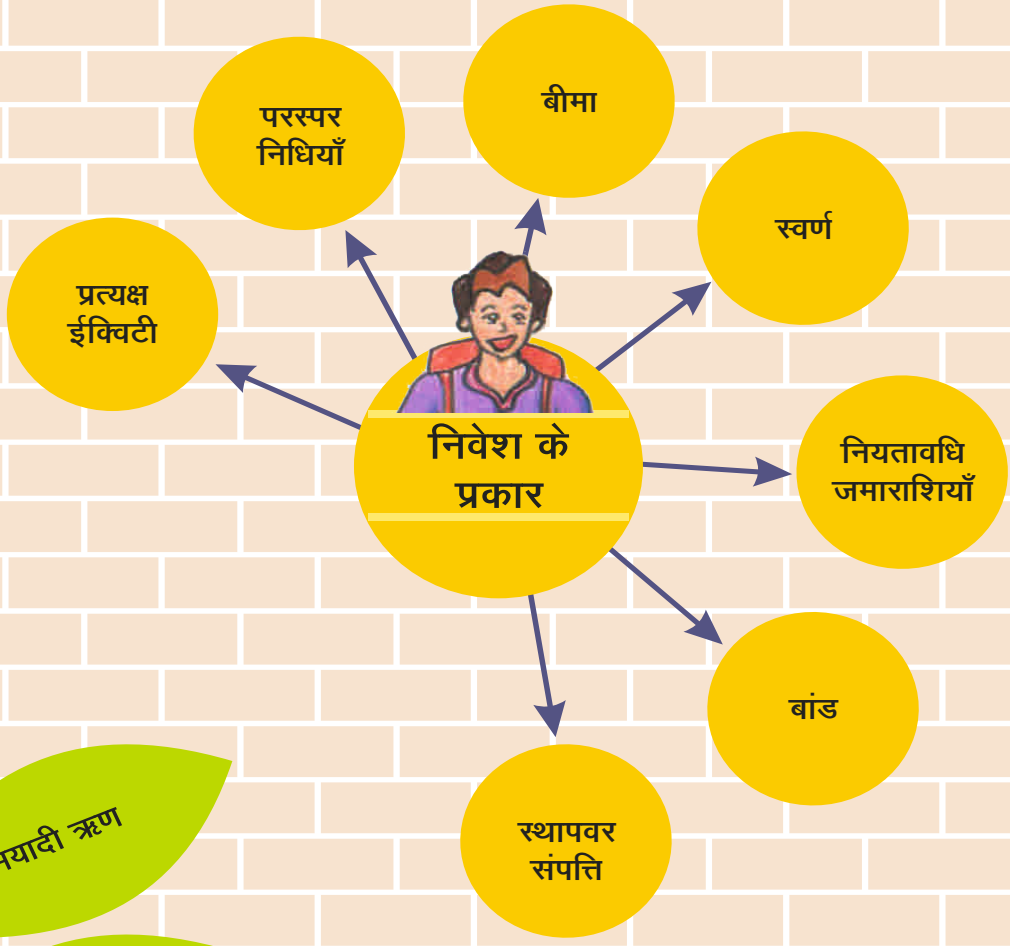

**प्राकृतिक आपदाओं से वित्तीय बचाव**

- व्यक्तियों के लिए सुरक्षा
- घरेलू सामान और व्यापारिक ढांचे का बचाव
- आम जनता के प्रति देयता कवच
- फसलों और पशुधन का बचाव



**कार्य**

- मुद्रा (करेंसी) निर्गमकर्ता
- सरकार का बैंकर
- बैंकों का बैंकर
- ऋण और धन आपूर्ति का नियंत्रक
- बैंकों का विनियामक और पर्यवेक्षक



**ऋणों के प्रकार**

| | |
|---|---|
| गृह ऋण | स्वर्ण ऋण |
| वैयक्तिक ऋण | कृषि ऋण |
| वाहन ऋण | व्यापार ऋण |
| शिक्षा ऋण | |

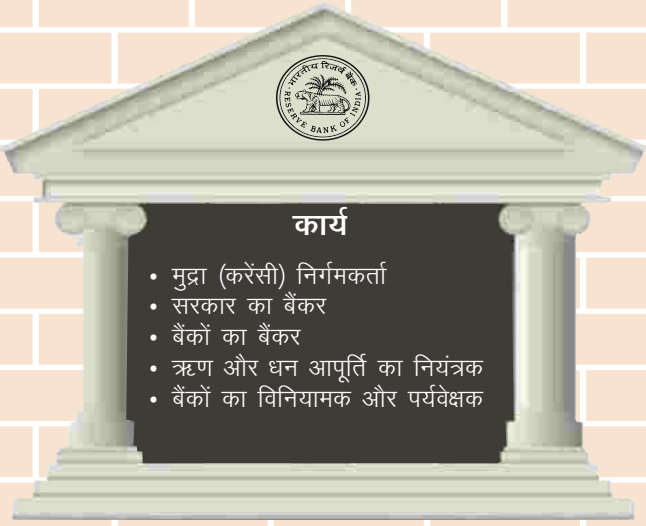

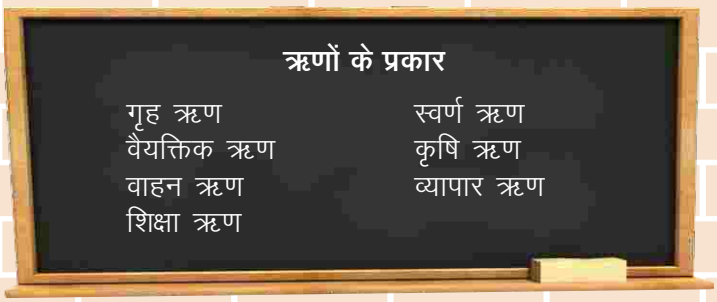

विषय : इतिहास
कक्षा : दस
सत्र : 1

# भाग 1 : इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य (ई–कॉमर्स)

## डॉट कॉम की धूम

बड़ी आशा के साथ यश पुस्तक की एक दुकान में गया और उसने एक उपन्यास मांगा, जिसे वह पढ़ना चाहता था। परंतु विक्रेता ने बताया कि यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यह पूछने पर कि उसे इस उपन्यास की एक प्रति कहाँ से मिल सकती है तो यश को पता चला कि वह उसे ऑन लाइन भी खरीद सकता है। वह घर पहुँचा, उसने अपना कंप्यूटर खोला, इंटरनेट चालू किया और एक ऑनलाइन पुस्तक विक्रेता की वेबसाइट से संपर्क कर रु250/– और रु40/– वितरण प्रभार में उक्त पुस्तक खरीद ली। उसने अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया और उसे बताया गया कि 3–4 दिन में उसे पुस्तक पहुँचा दी जाएगी। इससे यश को ई–वाणिज्य (ई–कॉमर्स) के बारे में और भी जानने का प्रोत्साहन मिला।

ई–वाणिज्य (ई–कॉमर्स) व्यापार का एक नमूना या स्वरूप है या बड़े व्यापार नमूने का एक ऐसा भाग है, जिससे कोई फर्म या व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क –विशेषरूप से इंटरनेट के द्वारा व्यापार कर सकता है। यह सूचीपत्र के माध्यम से मेल आदेश खरीद (मेल आर्डर परचेजिंग) का अधिक उन्नत स्वारूप है। ई–वाणिज्य के द्वारा पुस्तकों और संगीत से लेकर वित्तीय सेवाओं तथा हवाई यात्रा टिकट तक लगभग सभी उत्पाद और सेवाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं।

**ई–कॉमर्स के द्वारा उपलब्ध कुछ वस्तुएं और सेवाएं**

- फुटकर भंडार जैसे पुस्तक भंडार, संगीत भंडार और खिलोना भंडार। देखें www.bookadda.com
- नीलामी की वेब साइट, जिनके माध्यम से कोई व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता वस्तुओं की ऑनलाइन खरीद या बिक्री कर सकता है। www.ebay.in
- बैंकों के ग्राहक अपने खातों से ऑनलाइन संपर्क कर, धनराशि जमा कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अपने खाते में शेषराशियों का पता लगा सकते हैं।
- रेलवे/एयरलाइन/सिनेमा थियेटर आपको ऑनलाइन टिकट बुक कराने और क्रेडिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक नकदी का प्रयोग कर उसका भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। देखें– www.irctc.co.in

## ई–कॉमर्स

**बताएं सच या झूठ**

1) ई–वाणिज्य (ई–कॉमर्स) मेल आर्डर व्यापार का एक हिस्सा है .....
2) ई–कॉमर्स से कोई फर्म या व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क –विशेषरूप से इंटरनेट पर व्यापार कर सकता है.....
3) ई–कामर्स के द्वारा हवाई यात्रा की टिकट नहीं खरीदी जा सकती है.....

## उलझे–पुलझे शब्द

| उलझे–पुलझे शब्द | संकेत | हल |
|---|---|---|
| जउब्रा | देखना, पृष्ठ पलटना | |
| नाखोज | कोई तलाश करना | |
| नऑइलान | इंटरनेट से संपर्क स्थापित करना | |
| नस्था र्धातरिनि रनाक | कोई वस्तु का सही पता लगाना | |
| टसाइ | इंटरनेट पर कोई स्थान | |
| की र्डव | इंटरनेट पर किसी चीज खोज में मदद के लिए इसका प्रयोग करें | |

1) ई–वाणिज्य (ई–कॉमर्स) से हमारा आशय है:
   1) इलेक्ट्रॉनिक सामान का वाणिज्य या व्यापार
   2) इलेक्ट्रॉनिक पर निर्भर व्यापार
   3) ऐसा व्यापार, जो इंटरनेट के प्रयोग पर आधारित है
   4) ऐसा व्यापार, जो दूरसंचार नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का प्रयोग कर किए जाने वाले लेन–देनों पर आधारित हो।

2) निम्नलिखित में से कौन–सी गतिविधि ई–कॉमर्स गतिविधि नहीं है ?
   1) कोई व्यक्ति इंटरनेट से एक पुस्तक खरीदता है।
   2) एक पुस्तक–दुकान का कर्मचारी किसी पुस्तक की डिजिटल प्रति डाउनलोड करता है और कवर के साथ उसे मुद्रित करता है।
   3) एक व्यक्ति इंटरनेट से होटल का एक कमरा आरक्षित करता है।
   4) एक व्यक्ति आरटीजीएस के द्वारा एक आपूर्तिकर्ता को निधियां अंतरित करता है।

# भाग 2 : सावधान ! (ई–वाणिज्य)

ई–वाणिजय या ई–कॉमर्स ने, प्रयास और समय के हिसाब से उपभोक्ताओं को एक सुविधाजनक उपाय उपलब्ध कराया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति वेबपृष्ठों को छान कर उन वस्तुओं का पता लगा सकता है, जिन्हें वह चाहता है। जब उसे अपनी मनपसंद वस्तु मिल जाए तो डेबिट/क्रेडिट कार्ड से उसका भुगतान कर सकता है।

परंतु कुछ सॉफ्टवेयर और युक्तियाँ तेजी से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड का ब्योरा प्राप्त, कर लेती हैं। इस प्रकार प्राप्त सूचना का दुरुपयोग हो सकता है और आपको एक बहुत बड़ा बिल प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन लेन–देन करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए:

1. ऑनलाइन लेन–देन करने के लिए बहुत कम ऋण सीमा के क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें।
2. स्पैम से सावधान रहें। स्पैम अनुरोध के बिना ही वृहत् व्यापार के ई–मेल हैं।
3. ऑनलाइन खरीदारी की एक ऐसी वेबसाइट चुनें, जो अपने व्यापार के बारे में पूरी सूचना जैसे सड़क या गली का पता और फोन नंबर प्रदर्शित करती हो।
4. किसी साइट पर खरीदारी करने से पूर्व उसकी नीति (पॉलिसी) विषयक सूचना अवश्य पढ़ें। कुछ नीतियों में यह कहा जाता है कि आपके आँकड़ों की सूचना हम प्राप्त कर सकेंगे, यह आपकी निजता का उल्लंघन है।
5. आप यह जाँच लें कि स्टेटस बार में ताले का चिह्न है और उन साइट को ही चुनें, जिनका पता ^^https:** से आरंभ होता हैं। इन साइटों का सर्वर सुरक्षित होता है।
6. अपने आँनलाइन लेन–देनों का अभिलेख रखें।
7. इंटरनेट की बहुत सी साइट झूठे दावे करती हैं। अपनी खोज करें और यह सत्यापित करें कि ये दावे सच हैं।

**परामर्श**

अपने एटीएम/डेबिट कार्ड के कपटपूर्ण प्रयोग और बैंकिंग के कपट से स्वयं को बचाएं। निम्नलिखित सावधानी बरतें:

**एटीएम आहरण**

1. एटीएम से आहरण करते समय एटीएम के चारों ओर देखें कि कोई संदेहजनक युक्ति तो नहीं लगी है। इससे आँकड़ों के सार्वजनिक होने की आशंका रहती है।
2. यदि कमरे में केवल एक एटीएम लगी हो तो अपना लेन–देन करते समय किसी अन्य को अंदर न आने दें।
3. नंबर पटल का दृश्य अवरुद्ध कर लें ताकि कोई आपका एटीएम पिन न देख सके।
4. यदि आपका कार्ड मशीन में फँस जाए तो ड्यूटी पर तैनात गार्ड को तुरंत सूचना दें। अजनबियों की मदद न लें।

**एटीएम/डेबिट कार्ड के प्रयोग से ई–कॉमर्स/विपणन केंद्र पर लेन–देन और इंटरनेट बैंकिंग**

1. किसी दुकान/विपणन केंद्र (पॉइंट ऑफ सेल) पर लेन–देन करते समय कार्ड स्वाइप करने वाले व्यक्ति' पर नजर रखें और जब दुकानदार पिन के लिए कहे तो पिन स्वयं डालें।
2. ई–कॉमर्स लेन–देनों/इंटरनेट बैंकिंग के लिए सार्वजनिक कंप्यूटरों जैसे साइबर कैफे आदि से बचें।
3. अपने वैयक्तिक कंप्यूटर (पी सी) को अद्यतन एंटीवाइरस, एंटीमालवेयर, वैयक्तिक फायरवॉल से युक्त रखें।
4. आपके खाते के ब्योरा जैसे कार्ड संख्या, वैधता, पिन और समाप्ति की तारीख की मांग करने वाले ई–मेल का उत्तर न दें। बैंक अपने ग्राहकों से उनके खाते का ब्योरा नहीं मांगते हैं।
5. इस आशय की सूचना देने वाले ई–मेल का उत्तर न दें कि आपने लॉटरी जीती है।
6. अपने कार्ड के पृष्ठ भाग में अंकित सीवीवी संख्या को मिटा दें और उसे कंठस्थ कर लें या सुरक्षित स्थान पर लिख कर रखें।

7. जब तक आपका फोन पूरी तरह सुरक्षित न हो, फोन बैंकिंग का प्रयोग न करें।

## भारत में वित्तीय विनियामक संस्थाएं

भारत में वित्तीय प्रणाली का विनियमन, बैंकिंग, बीमा, पूँजी बाजार, पण्य बाजार और पेंशन निधियों के क्षेत्रों में अलग–अलग विनियामकों द्वारा किया जाता है। परंतु भारत में वित्तीय प्रणाली का मार्गदर्शन करने में भारत सरकार एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करती है और कुछ सीमा तक इन विनियामकों की भूमिका को प्रभावित करती है।

**भारत में पाँच मुख्य वित्तीय विनियामकों का नीचे संक्षिप्त वर्णन किया गया है:**

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई): भारतीय रिजर्व बैंक भारत का शीर्ष मौद्रिक एवं बैंकिंग संगठन है। यह देश का केंद्रीय बैंक भी है। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में यह निजी शेयर धारक बैंक के रूप में गठित किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व का संगठन है।

  भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य संचालन और अधीक्षण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा गया है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै और मुंबई स्थित चार स्थानीय निदेशक मंडल, केंद्रीय निदेशक मंडल की सहायता करते हैं। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था परंतु वर्ष 1937 में उसे स्थाई रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय हैं, जहाँ गवर्नर बैठते हैं और जहाँ नीतियों का सूत्रपात होता है।

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) का पहले एक प्रशासनिक संस्था के रूप में वर्ष 1988 में गठन किया गया था। बाद में एसईबीआई अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अधीन 12 अप्रैल 1992 को यह स्वायत्त विधिक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना मुख्य रूप से इस आदेश के साथ की गई है कि वह प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करे। इसे प्रतिभूति बाजार के विकास को प्रोत्साहन देने और उसे विनियमित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक विनियामक संस्था है, जिसे भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन करने और उसका विकास करने का दायित्व सौंपा गया है। इसकी स्थापना, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अधीन की गई है। इसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में स्थित है।

- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकारण (पीएफआरडीए): भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकारण की स्थापना 23 अगस्त 2003 को की गई थी। 10 अक्तूबर 2003 के एक आदेश के द्वारा भारत सरकार द्वारा पीएफआरडीए को पेंशन क्षेत्र के विनियामक के रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया है। पीएफआरडीए का दायित्व भारत में पेंशन क्षेत्र का विकास और विनियमन करना है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन उसे विधिक संस्था का महत्व प्रदान किया गया है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

- भारतीय वायदा बाजार आयोग (एफएमसी): भारतीय वायदा बाजार आयोग, वित्त मंत्रालय की निगरानी में एक विनियामक प्राधिकरण है। यह वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1953 में गठित की गई विनियामक संस्था है। यह वित्तीय समग्रता एवं बाजार की समग्रता सुनिश्चित करने और पण्य व्युत्पन्नों (कॉमोडिटी डेरिवेटिव) में निवेशकों के हितों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए विनियामक निगरानी का कार्य करता है। एफएमसी का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।

**बताएं सच या झूठ**

1) ऑनलाइन लेन–देन करते समय आपको बहुत ऊँची उधार सीमा वाले क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करना चाहिए.....

2) किसी को खरीदारी की उन ऑनलाइन वेबसाइट से बचना चाहिए, जो अपने व्यापार के बारे में पूरे आंकड़े प्रदर्शित करती हैं.....

3) किसी को ऑनलाइन वेबसाइट पर खरीदारी से पूर्व उसकी नीति अवश्यक पढ़नी चीहिए.....

4) ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं, जो झूठे दावे करती हैं.....

# उलझे–पुलझे शब्द

| उलझे–पुलझे शब्द | संकेत | हल |
|---|---|---|
| ज्यवाईणि | इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर किया गया व्यापार | |
| रटटनेइं | एक दूसरे से जुड़े कंप्यूवटरों की ग्लोयबल प्रणाली | |

1) निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय विनियामक संस्था नहीं है।
   क) एसईबीआई  ख) आरबीआई
   ग) एसबीआई  घ) आईआरडीएआई

2) वर्ष ..... में एसईबीआई का गठन एक प्रशासनिक संस्था के रूप में किया गया था।
   क) 1998  ख) 1988
   ग) 1990  घ) 1992

3) .....एक विनियामक संस्था है, जिसे भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन करने और उसका विकास करने की दायित्व सौंपा गया है।
   क) पीएफआरडीए  ख) आईआरडीएआई
   ग) एसईबीआई  घ) आरबीआई

4) ..... पेंशन क्षेत्र के लिए विनियामक का कार्य करता है।
   क) पीएफआरडीए  ख) आईआरडीएआई
   ग) एसईबीआई  घ) आरबीआई

5) .....वित्त मंत्रालय की निगरानी में एक विनियामक प्राधिकरण है।
   क) पीएफआरडीए  ख) आईआरडीएआई
   ग) एसईबीआई  घ) एफएमसी

6) भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष ..... में हुआ था।
   क) 1947  ख) 1950
   ग) 1949  घ) 2000

7) भारतीय रिजर्व बैंक का अधीक्षण कार्य ..... को सौंपा गया है:
   क) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को ख) भारत के राष्ट्रपति को
   ग) भारत सरकार को  घ) भारत के प्रधानमंत्री को

8) भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय स्थित है:
   क) कोलकाता में  ख) मुंबई में
   ग) दिल्ली में  घ) जयपुर में

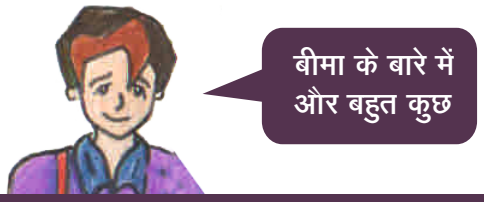


# भाग 1 : बीमा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी

अपने उत्पादों का मूल्य सिद्ध करने के लिए उत्पादकों के लिए सेवा की गुणवत्ता अनिवार्य है और बीमा कोई अपवाद नहीं है। बीमा वह वित्तीय सेवा है, जिसमें जोखिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा–संविदा के माध्यम से सांकेतिक धनराशि प्राप्त की जाती हैं। लोग, ऐसी किसी अगोचर सेवा के मूल्य को न केवल बिक्री के समय पर मान्यता देते हैं बल्कि सेवा उपलब्ध कराने के समय और पॉलिसी चालू रहने के दौरान भी मान्यता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार और साइबर (ईटीसी) मंचों ने वाणिज्य और उद्योग की गति ही बदल डाली है। वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के पश्चात बैंकिंग उद्योग बड़ी तेजी से ई–वाणिज्य की ओर बढ़ा और उसने अपने ग्राहकों को कागज रहित सेवाएं प्रदान की। एटीएम के अखिल भारतीय नेटवर्क और कोर बैंकिंग समाधान से, जो सभी बैंकिंग परिचालनों जैसे लेन–देनों का अभिलेख, पासबुक रख–रखाव, ऋणों एवं जमाराशियों पर ब्याज की गणना, ग्राहक अभिलेख, भुगतानों और आहरणों के शेष को एकीकृत कर देता है, लोग उदारीकरण पूर्व के बैंकिंग युग को भूल गए हैं। जब बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया तो विनियामक से शुरू होते हुए सभी दावेदारों ने बढ़ते हुए बीमा प्रवेश के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचाना।

## विनियामक शासनदेश

जब बीमा क्षेत्र को निजी बीमाकर्ताओं के लिए खोला गया तो नीति निर्धारकों ने विनियामक ढांचे का सूत्रपात करते समय सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण का समर्थन कर पर्याप्त दूरदृष्टि का परिचय दिया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने प्रारंभिक दिनों से ही न केवल बिक्री, परिचालनों एवं सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचाना बल्कि ग्राहक सेवा के लिए कॉल सेंटरों का प्रयोग करने की अवधारणा की खोज की।

आईआरडीएआई ने निजी बीमा कंपनियों द्वारा देश में लाई जाने वाली नवोन्मेषी (इनोवेटिव) विपणन कार्यनीतियों का पूर्वानुमान लगाया और उसे अपने लक्ष्य–कथन (मिशन स्टेटमेंट) के निम्नलिखित दोहरे उददेश्यों में संतुलन बनाना है:

1) पॉलिसी धारको के हितों की रक्षा करना

2) बीमा क्षेत्र का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना

अपने विभिन्न विनियमों के द्वारा इस विनियामक ने उत्पादों के लिए विज्ञापनों से आरंभ करते हुए पॉलिसी धारकों की शिकायतों का निवारण समय तक बीमा व्यवसाय के विभिन्न चरणों के लिए 'करें' और 'नहीं करें' संबंधी मानदंड अधिसूचित किए हैं। इंटरनेट पर विज्ञापन के महत्व को पहचानते हुए आईआरडीएआई, (बीमा विज्ञापन) विनियमावली, 2000 में यह प्रावधान किए गए हैं:

1) प्रत्येक बीमाकर्ता या मध्यस्थ की वेबसाइट या पोर्टल में ऐसे प्रकटीकरण विवरण होने चाहिए, जो साइट की विशिष्ट पॉलिसियों की रूपरेखा और उनके अपने व्यवसाय और उन उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए, जिनकी वे सेवा करते हैं, व्यक्तिगत सूचना की निजता की रूपरेखा प्रस्तुत की गई हो और

2) वेबसाइट पर अपनी पंजीकरण संख्या/लाइसेंस नंबर प्रदर्शित करें।

## बीमा वितरण के नए माध्यम

निजी बीमा कंपनियाँ, उपभोक्ता केंद्रिक दृटिकोण की भूमंडलीय पृथाएं और टेलीफोन विपणन और इंटरनेट के प्रयोग करने जैसे वितरण के नवोन्मेषी रूप लेकर आई हैं, जो कि देश की असमान जनसंख्या तक पहुँचने के लिए सबसे सस्ते और अच्छे हैं। इसके साथ ही प्रीमियम भुगतान के तरीकों में कागज विहीन धन जैसे बैंक अंतरण, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, इंटरनेट और ई–ट्रांसफर सहित धन के सभी स्वरूप शामिल हैं। पूरी दक्षता और कारगर रूप से ग्राहकों की सेवा करने के लिए स्थापित, शक्तिशाली सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के साथ–साथ बीमाकर्ताओं ने, पारंपरिक मध्यस्थों को दिए जाने वाले कमीशन की लागत कम करने के एक तरीके के रूप में ईटीसी (इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, साइबर) माध्यम के वैकल्पिक स्वरूपों का इस्तेमाल करके सीधे ही व्यवसाय की मांग शुरू कर दी है।

## बाजार प्रेरित मध्यस्थताएं

बीमा उद्योग ने एजेंसी लाइसेंसीकरण प्रक्रिया के स्वचलन (ऑटोमेशन) और बीमा–योग्यताओं की ऑनलाइन परीक्षाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने में वृद्धि का अनुभव किया है। आईआरडीए द्वारा प्रवर्तित बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी), वी–सेवा नामक अपने सेवा पैकेज के माध्यम से जनता, पुलिस, यातायात विभाग और बीमाकर्ताओं जैसे विविध दावेदारों को मोटर बीमा से संबंधित सेवाओं का एक पुलिंदा उपलब्ध कराता है। ये सेवाएं, कॉल सेंटरों, एसएमएस और इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं और वाहन बीमा की स्थिति, चोरी हुए वाहनों, बरामद हुए वाहनों के स्वामित्व, दुर्घटना अभिलेख आदि की सूचना देती हैं। दुर्घटना के मामले में कोई व्यक्ति आईआईबी के वेब पोर्टल का प्रयोग कर, वाहन की पंजीकरण संख्या के बारे में मूलभूत सूचना और व्यक्ति की पहचान का ब्योरा प्रस्तुत कर, उस वाहन की बीमा स्थिति का पता लगा सकता है, जिससे दुर्घटना हुई है।

## पॉलिसी धारक को आपूर्ति संबंधी फायदे

### उत्पाद

बीमाकर्ताओं ने अद्यतन प्रौद्योगिकी और मौसम अनुमान आंकड़ों का प्रयोग कर मौसम बीमा जैसी नवोन्मेषी पॉलिसियाँ खोज निकाली हैं, जो फसलों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और ग्रामीण भारत की जरूरत हैं। फसल वृद्धि की संकटकालीन अवधियों को महत्व प्रदान करते हुए बरसात सूचकांक तैयार किया जाता है। पिछले मौसम के आंकड़ों का इन आंकड़ों से मिलान किया जाता है और तब सामान्य सीमा सूचकांक स्तर नियत किया जाता है। यदि सामान्य सूचकांक और वास्तविक सूचकांक में ज्यादा अंतर होता है तो बीमाकृत व्यक्ति को पूर्व सहमत फॉर्मूले के आधार पर क्षतिपूर्ति की जाती है।

### मूल्य

यदि कोई ग्राहक इंटरनेट का प्रयोग कर पॉलिसी खरीदता है तो उसे पारंपरिक एजेंट को कोई कमीशन देने की आवश्याकता नहीं होती है और इससे कम मूल्य पर पॉलिसी प्राप्त हो जाती है। एक निश्चित बीमा राशि के लिए कम प्रीमियम होने पर, ग्राहक, माउस की एक क्लिक से उच्चतर राशि का जीवन बीमा करा सकते हैं।

### स्थान

इंटरनेट ने स्थान की परिभाषा बदल दी है। दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, अपने जीवन बीमा प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। किसी हवाई अड्डे की कियोस्क से पर्यटन बीमा खरीदा जा सकता है। कोई अपने घर बैठे हुए ही इंटरनेट के माध्यम से अपने मोटर बीमा का नवीनीकरण करा सकता है। इस प्रकार इंटरनेट द्वारा भोगोलिक बाधाएं समाप्त हो गई हैं। फिर भी मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह अपेक्षा की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में जारी की गई पॉलिसियों की शर्तें सरल और सहज भाषा में लिखी जाएं।

### व्यक्ति

बीमा एक जटिल विषय है, जिसकी आज के व्यस्त साधारण लोगों के लिए, सुस्पष्ट एवं सरल रूप में व्याख्या करने की आवश्यकता है। कॉल सेंटर पर पश्च कार्यालय (बैक ऑफिस) में कार्यरत व्यक्तियों को सही और सटीक सूचना उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कुछ सेवा प्रदाताओं जैसे पर्यटन एजेंटों द्वारा, जो पर्यटन बीमा का प्रस्ताव करते हैं

और कार डीलरों द्वारा, जो कार बीमा करते हैं, बीमा को अपनी सेवाओं का एक हिस्सा बनाया गया है। वे बीमा विक्रय का प्रस्ताव करने, पॉलिसी स्थिति जानने, पॉलिसियों के नवीकरण के लिए ई–मेल, टेलीफोन और इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हैं।

**प्रक्रिया**

सेवा प्रदान करने की गति और यथार्थता, ग्राहक अनुकूल प्रक्रियाओं के मापदंड हैं। स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती हुई लोकप्रियता का एक कारण स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में दावा निपटान के नकदीरहित स्वरूप का आरंभ होना है। चूँकि स्वास्थ्स लाभ प्रदाताओं, बीमाकर्ता और तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) के पास एकीकृत प्रणालियां स्थापित हैं इसलिए पॉलिसी धारक 24 घंटे से कम समय में नेटवर्क अस्पतालों में नकदीरहित सुविधा का लाभ ले सकता है, जो इन प्रक्रियाओं की दक्षता प्रदर्शित करता है। वस्तुतः पॉलिसी धारक को एक अच्छा अनुभव प्रदान करने के लिए तृतीय पक्ष प्रशासक (जहाँ उनका कोई तृतीय पक्ष प्रशासक नहीं है, वहाँ बीमाकर्ता) द्वारा ईटीसी के तीनों भागों का एक सुसंबद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है।

**प्रोत्साहन**

- **वेब समुच्चयक (वेब एग्रीगेटर):** बहुत सी वेब साइट, ऑन लाइन बिक्री में वृद्धि करने में बीमा सुराग उत्पन्न करने के एक साधन के रूप में उभरी हैं। उनमें से कुछ ने ऑन लाइन तुलना हेतु ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ताओं से आँकड़े प्राप्त करना आरंभ किया। ऐसी वेबसाइटों द्वारा प्रदान की गई सूचना में विश्वसनीयता लाने के एक प्रयास के रूप में, किसी वेबसाइट पर विभिन्न कंपनियों की बीमा पॉलिसियों के बारे में जिम्मेदारीपूर्वक सूचनाएं संकलित करने और उपलब्ध कराने के लिए, लाइसेंस प्राप्त वेब समुच्चयकों को बाजार में लाया गया है। ये संस्थाएं वेबसाइट का अनुरक्षण करती हैं, बीमा उत्पादों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराती हैं, विभिन्न बीमाकर्ताओं के उत्पादों की मूल्य तुलना करती हैं तथा बीमाकर्ताओं/मध्यस्थों को सुराग देती हैं।

- **एसएमएस प्रौद्योगिकी:** लगभग 90 करोड़ प्रयोगकर्ताओं के साथ भारत, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उपयोगकर्ता देश है। इसमें आईआरडीएआई ने लोगों तक पहुँच स्थापित करने की बड़ी संभावना को पहचाना और यूनिट संबद्ध बीमा पॉलिसियों (यूएलआईपी) के विपणन से जुड़ी हुई समस्याओं का पता लगाने के लिए एक मोबाइल अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) जारी किया है, जिसके द्वारा कोई यूएलआईपी की विशेषताओं जैसे प्रीमियम और फायदों की तुलना कर सकता है। किसी मोबाइल से प्रयोगकर्ता वेबसाइट – www.m.irda.gov.in खोल कर यूएलआईपी के आईआरडीएआई सूचना–भंडार (रिपॉजिटरी) के संपर्क में आ सकता है, जहाँ पर वह यूएलआईपी की विभिन्न पॉलिसियों को देख और चुन कर उनकी विशेषताओं की तुलना कर सकता है।

**बीमा पॉलिसियों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में भण्डारण**

बीमा सेवाओं का ठोस (टेंजीबल) हिस्सा उसका पॉलिसी बॉंड है। बीमा भंडारण प्रणाली, पॉलिसी धारकों को अमूर्त या इलेक्ट्रॉनिक (ई–पॉलिसी) स्वरूप में बीमा पॉलिसी खरीदने और रखने में मदद करेगी। ई–पॉलिसियों से, कागजी स्वरूप और उससे जुड़ी भंडारण एवं खो जाने का जोखिम समाप्त हो जाएगा। परंपरागत कागजी स्वरूप की पॉलिसियों की तुलना में ई–पॉलिसी जारी करना और उनकी सेवा प्रदान करना बीमा कंपनियों के लिए भी एक किफायती प्रस्ताव होगा। इस प्रकार लागत में इस कमी से, कम मूल्य की पॉलिसियाँ अधिक लाभकारी होंगी तथा भारत में इससे बीमा प्रवेश को और अधिक बढ़ावा मिलने की आशा है।

**ई–पॉलिसी निम्नलिखित कार्यों में मदद करती है:**

- पॉलिसियों का अनुरक्षण, संग्रहण, उन्हें और उनमें निहित सूचना पुनः प्राप्त करना
- तेजी से और यथार्थतापूर्वक संशोधन
- दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाती है
- बीमा पॉलिसियाँ जारी करने और उनके अनुरक्षण की लागत कम करती है।

एक ''ई–बीमा खाता'' रख कर पॉलिसी धारक, विभिन्न बीमाकर्ताओं की 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विविधि दस्तावेजों की आवश्यकता से निजात पा सकेंगे।

## पॉलिसी धारक के लिए मांग आधारित मध्यस्थताएं

### शिकायतों का निवारण/निपटान करना

शिकायत निवारण, पॉलिसी धारकों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। एकीकृत शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) पॉलिसी धारक की शिकायतें पंजीकृत करने और तत्काल आधार पर उनकी स्थिति मालूम करने की एक ऑन लाइन व्यवस्था प्रस्तुत करती है। आईजीएमएस के माध्यम से पंजीकृत शिकायतें बीमाकर्ता की प्रणाली और आईआरडीएआई के सूचना भंडार में साथ–साथ दिखलाई देंगी और उनकी स्थिति के अद्यतन भी स्वतः आईआरडीएआई के सूचना भंडार में प्रतिबिंबित होंगे। आईआरडीएआई के कॉल सेंटर टेलीफोन पर या ई–मेल के द्वारा शिकायतें दर्ज करने लिए, एक अतिरिक्त माध्यम है, यहाँ से ये शिकायतें आईजीएमएस के द्वारा स्वतः आगे प्रवाहित होंगी। कॉल सेंटर पॉलिसी धारकों को बीमा–लोकपाल जैसे शिकायत निवारण तंत्र के बारे में शिक्षित भी करता है।

### बीमा शिक्षा

उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए इंटरनेट की शक्ति का प्रयोग करते हुए विनियामक द्वारा विशेष रूप से उपभोक्ता शिक्षा वेबसाइट (www.policyholder.gov.in) चालू की गई है, जो उस व्यक्ति के लिए, जो साधारण बीमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, एक पॉइंट संदर्भ है। इस वेबसाइट में एक स्वतः स्पष्ट सूची है और यह निम्नलिखित विषयों पर सरल भाषा में सूचना प्रदान करती हैः

- बीमा की खरीद
- दावा करना
- पॉलिसी धारक की रक्षा और शिकायत निवारण

इस वेबसाइट पर कुछ लोकप्रिय बीमा विषयों पर, हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में विवरण पुस्तिकाएं भी उपलब्ध हैं। ये विवरण पुस्तिकाएं बीमा की खरीद, मानक दावा क्रियाविधियों/दस्तावेजों, किसी पॉलिसी धारक के लिए 'करें और नहीं करें', अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। आदि के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। वेबसाइट पर, ये विवरण पुस्तिकाएं, बीमा विषयों पर चित्रकथा श्रंखला, उपभोक्ता मामले की पुस्तिकाएं और अन्य दस्तावेज पीडीएफ स्वरूप में उपलब्ध हैं और आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उपभोक्ताओं के परिदृश्य से सभी उपलब्ध संसाधन वित्तीय सेवाओं के लिए मांग सृजित करने की ओर अभिमुख होने चाहिए। भारत में इंटरनेट, प्रधान रूप से अंग्रेजी में है और व्यापक पहुँच के लिए इंटरनेट का विषय, स्थानीय भाषा में पठनीय होना चाहिए। विप्रो टेक्नोलॉजी तथा भारतीय इंटरनेट और मोबाइल असोसिएशन (आईएएमएआई) की संयुक्ता अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मूल्य योगित सेवा बाजार वर्ष 2012 में 4.9 अरब डॉलर से वर्ष 2015 में 9.5 अरब डॉलर पर पहुँच जाएगा। यह रिपोर्ट यह इंगित करती है कि सेवा की श्रेणी की दृष्टि से अपने मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से लगभग 47 प्रतिशत प्रयोगकर्ता शिक्षा सूचना और सेवाओं का लाभ उठाते हें। अभी तक विकास वृद्धिशील रहा है और प्रौद्योगिकी के लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यापार प्रक्रियाओं के पुनः प्रबंध करने और विभिन्न प्रणालियों और माध्यमों को संयुक्त करने की आवश्यकता है ताकि सामर्थ्यसंभव वित्तीय सेवाएं/बीमा समाधान उन लाखों भारतीयों के दरवाजे तक ले जाई जा सकें, जिनकी औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच नहीं है।

1) आईआईबी का पूरा नाम है:

क) इंश्योरेंस इनफॉर्मेशन बैग    ख) इंटरनेट इनफॉर्मेशन ब्यूरो

ग) इंश्योररेंस इन्ट्रो डक्शइन ब्यूरो    घ) इंश्योरेंस इनफॉर्मेशन ब्यूरो

2) एटीएम का पूरा नाम है:

क) ऑटोमेटेड टैलर मनी    ख) ऑटोमेटिक टैलर मशीन

ग) ऑटोमेटेड टैलर मशीन    घ) ऑटोमेटिक ट्रांजिट मशीन

3) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने न केवल बिक्री, परिचालनों और सेवाओं के समर्थन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की पहचान की बल्कि ग्राहक सेवा के लिए ........... का प्रयोग करने की अवधारणा की खोज की:

क) सेवा केद्रों    ख) कॉल सेंटरों

ग) ग्राहक केंद्रों    घ) सहयता डेस्कों

4) इंटरनेट पर विज्ञापन के महत्व का वर्णन ........................................... के अंतर्गत किया गया है:

क) आईआरडीए विनियमावली, 2000    ख) आईआरडीए विनियमावली, 2002

ग) आईआरडीए विनियमावली, 2004    घ) आईआरडीए विनियमावली, 2006

5) .................. एक वित्तीय सेवा है, जिसमें एक संविदा के माध्यम से जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सांकेतिक धन राशि प्राप्त की जाती है:

क) पेंशन    ख) मेडीक्लेम पॉलिसी

ग) बीमा    घ) बैंक संविदा

6) ................. से पॉलिसी धारक, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में पॉलिसियाँ खरीदने और उन्हें सुरक्षित रख सकेंगे:

क) बीमा भंडारण प्रणाली    ख) बीमा तिजोरी प्रणाली

ग) बीमा क्षेत्र    घ) बीमा अमूर्त खाता

7) ........................ पॉलिसी धारक की शिकायतें पंजीकृत करने और तत्काल आधार पर उनकी स्थिति मालूम करने की एक ऑन लाइन व्यवस्था प्रस्तुत करती है:

क) आईजीएमएस    ख) आईपीएमएस

ग) एससीओआरईएस    घ) आरपीजी

8) ..................., टेलीफोन पर या ई–मेल के द्वारा शिकायतें दर्ज करने लिए, जो आईजीएमएस के द्वारा स्वतः आगे प्रवाहित होंगी, एक अतिरिक्त माध्यम प्रस्तुत करता है:

क) आईजीएमएस कॉल सेंटर    ख) आईजीएमएस सेवा केंद्र

ग) आईजीएमएस निवारण मंच    घ) आईआरडीए कॉल सेंटर

# भाग 2 :
# बीमा ओम्बुड्समेन

बीमा लोकपाल योजना, व्यक्तिगत पॉलिसी धारकों के लिए अपनी शिकायतें, किफायती रूप में, दक्षता पूर्वक और निष्पक्ष रूप से न्यायालयों के बाहर निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। लोक शिकायत निवारण नियमावली, 1998 (आरपीजी नियमावली) में बीमा लोकपाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल आदि के उपबंध निहित हैं और उसमें लोकपाल केंद्र की स्टाफ व्यवस्था तथा प्रशासन, लोकपाल के अधिकारों, शिकायतें दर्ज करने के तरीकों और लोकपाल द्वारा या तो शिफारिश या अधिनिर्णय के रूप में शिकायतों के निस्तारण के बारे में उपबंध शामिल हैं।

देश भर में अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में स्थापित 12 लोकपाल हैं। बीमा परिषद संचालन समिति (जीबीआईसी) द्वारा पाँच और स्थानों का निर्धारण किया गया है। बीमा परिषद संचालन समिति (जीबीआईसी) की स्थापना, लोक शिकायत निवारण नियमावली,1998 (आरपीजी नियमावली) के अंतर्गत भारत में बीमा संस्थान का गठन और उसको सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी।

कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमा कंपनी कार्यालय की स्थिति पर क्षेत्राधिकार रखने वाले बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकता है:

- संपर्क करने के बाद बीमा कंपनी शिकायत का समाधान नहीं करती हो
- शिकायत का समाधान पॉलिसी धारक की संतुष्टि के अनुरूप नहीं हुआ हो या
- 30 दिन तक बीमाकर्ता से कोई जवाब नहीं मिला हो

**लोकपाल को निम्नलिखित के संबंध में शिकायत की जा सकती हैं:**

- बीमाकर्ता द्वारा दावे का आंशिक अथवा पूर्ण खण्डन
- पॉलिसी के अनुसार अदा किए गए या अदा किए जाने वाले प्रीमियम के बारे में कोई वाद
- जहाँ तक दावों का संबंध हो, पॉलिसी की विधिक संरचना के संबंध में कोई वाद
- दावों के निपटान में विलंब
- प्रीमियम भुगतान के बाद किसी बीमा दस्तावेज का जारी न किया जाना

शिकायत व्यक्तिगत रूप में ली गई किसी पॉलिसी के संबंध में की जा सकती है और लोकपाल के समक्ष शिकायत तभी की जा सकती है जब दावा किए गए खर्चों सहित दावों का मूल्य रु. 20 लाख से अधिक नहीं हो।

**निस्तारण प्रक्रिया**

लोकपाल कंपनी के लिए पूर्ण एवं अंतिम निपटान सिफारिश करने वाले परामर्शदाता और मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। उस प्रकार की गई सिफारिश का कंपनी द्वारा 15 दिन में अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि शिफारिश द्वारा निपटान पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर लोकपाल कारणों का ब्यारा देते हुए एक अधिनिर्णय पारित करेगा, जो बीमा कंपनी पर बाध्यकारी होगा पर पॉलिसी धारक के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। लोकपाल एक अंतरिम भुगतान का अधिनिर्णय भी पारित कर सकता है।

एक बार अधिनिर्णय पारित होने बाद बीमा कंपनी को 15 दिन में उसका अनुपालन करना होगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमा लोकपाल के निर्णयों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का कार्य नहीं करता है। बीमा लोकपाल के निर्णय शिकायतकर्ता पर बाध्यकारी नहीं हैं और उसके पास शिकायत के निस्तारण हेतु उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता मंच से संपर्क करने अथवा न्यायालय जाने का विकल्प उपलब्ध है।

**बताएं सच या झूठ**

1) इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार और साइबर (ईटीसी) मंचों ने वाणिज्य और उद्योग की गति ही बदल डाली है.....

2) ई–कॉमर्स ग्राहकों को कागज रहित सेवाएं प्रदान करती है.....

3) जब कोई ग्राहक इंटरनेट का प्रयोग कर पॉलिसी खरीदता है तो उसे पारंपरिक एजेंट को कोई कमीशन देने की आवश्यकता नहीं होती है और इससे कम मूल्य पर पॉलिसी प्राप्त हो जाती है.....

1) .....नियमावली, 1998 (आरपीजी नियमावली) में बीमा लोकपाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल आदि के उपबंध निहित हैं

क) लोक शिकायत निवारण　　ख) प्रतिभूति और विनिमय निवारण

ग) बीमा लोक शिकायत　　घ) लोकपाल शिकायत कक्ष

2) ..... एक संचालन समिति है, जिसकी स्थापना, लोक शिकायत निवारण नियमावली, 1998 (आरपीजी नियमावली) के अंतर्गत भारत में बीमा लोकपाल संस्थान का गठन और उसको सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी।

क) एनएसआईसी　　ख) जीबीआईसी

ग) एनएसआईएम　　घ) यूपीएससी

3) ..... योजना, व्यक्तिगत पॉलिसी धारकों के लिए अपनी शिकायतें, किफायती रूप में, दक्षता पूर्वक और निष्पक्ष रूप से न्यायालयों के बाहर निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी।

क) बीमा लोकपाल　　ख) बीमा एजेंट

ग) लोक शिकायत निवारण　　घ) बीमा लोक शिकायत

विषय : राजनीति शास्त्र
कक्षा : दस
सत्र : 1

# पण्य भावी बाजार

कोई बाजार वह स्थान है, जहाँ पर मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ काम करती हैं और जहाँ क्रेता और विक्रेता धन हेतु वस्तुओं, सेवाओं, संविदाओं अथवा उपकरणों का व्यापार करने के लिए (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में) एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

पण्य बाजार के दो भाग होते हैं। प्रथम वह है, जहाँ वस्तुओं और पण्यों का व्यापार सीधे क्रेता और विक्रेताओं के बीच होता है। यह बाजार सामान्यातः कृषि पण्यों का व्यापार करने के लिए लोकप्रिय है और भारत में मंडी/तत्काल बाजार या हाजिर बाजार के नाम से जाना जाता है। ये बाजार राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित किए जाते हैं।

पण्य बाजार का दूसरा भाग वायदा बाजार या फॉरवार्ड बाजार है, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता आपस में संविदा करते हैं। ये संविदाएं दो प्रकार की होती हैं: **हाजिर सुपुर्दगी संविदाएं** और **वायदा संविदाएं**। **हाजिर सुपुर्दगी संविदा** में वस्तुओं की सुपुर्दगी और उनका भुगतान तुरंत या संविदा की तिथि के बाद 11 दिन की अवधि के अंदर करना होता है। वायदा संविदा 11 दिन के बाद वस्तुओं की सुपुर्दगी और मूल्य भुगतान करने की संविदा है। वायदा संविदाओं का विनियमन, वायदा संविदा अधिनियम (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

## वायदा संविदाओं का तर्काधार

विभिन्न मौसम में कृषि पण्यों की मांग और आपूर्ति बदलती रहती है। कृषक आमतौर पर यह सोचते हैं कि वह जिन पण्यों का उत्पादन करते हैं, फसल कटाई के तुरंत बाद उनका मूल्य न्यूनतम होता है क्योंकि उस समय पण्यों की आपूर्ति अत्यधिक होती है और मंदी के मौसम में जब आपूर्ति कम होती है तब पण्यों के मूल्य ऊँचे होते हैं। पण्यों के मूल्यों में इस उतार–चढ़ाव से कृषकों पर (क्योंकि फसल के मौसम में अपने उत्पादों का उन्हें कम मूल्य मिलता है) और उपभोक्ताओं पर (क्योंकि अल्प आपूर्ति के मौसम में उन्हों ऊँचे मूल्य चुकाने पड़ते हैं) प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायदा बाजार, कृषि उत्पादों के इस मांग–आपूर्ति स्वरूप की असमानताओं को संतुलित करने के लिए एक बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराता है।

## वायदा बाजार के प्रकार

वायदा संविदा एक व्युतपन्न संविदा है। व्युतपन्न संविदा (डेरीवेटिव कॉंट्रेक्ट) से तात्पर्य एक ऐसे प्रवर्तनीय करार से है, जिसका मूल्य किसी अन्य आस्ति पर निर्भर करता है, जिसे अंतर्निहित आस्ति कहा जाता है अर्थात व्युत्पन्न संविदा को इस अंतर्निहित आस्ति के मूल्य से अपना मूल्य प्राप्त होता है। अंतर्निहित आस्ति, कोई पण्य, मुद्रा (करेंसी), बांड, या स्टॉक या पण्यों एवं भंडारों की सूचियाँ आदि हो सकती है। भावी संविदा (या हेज संविदा) एक प्रकार की वायदा संविदा है, जिसे अत्यधिक मानकीकृत किया गया है। इन संविदाओं का उसी प्रकार मान्यता प्राप्त पण्य बाजारों में विपणन होता है, जिस प्रकार शेयरों का विपणन, शेयर बाजार में होता है। भावी संविदाओं का प्रयोग आमतौर पर मूल्यों के प्रतिकूल उतार–चढ़ावों से बचाव के लिए किया जाता है।

## भारत में पण्य भावी बाजार का विनियमन

भारत में पण्य भावी सौदों का बहुत लंबा इतिहास है। पण्य भावी संविदाओं और पण्य बाजारों का विनियमन, वायदा संविदा अधिनियम (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भावी बाजार को विनियमित करने के लिए मुंबई में स्थित एक केंद्रीय एजेंसी, वायदा बाजार आयोग है। भावी सौदे उन वस्तुओं और पण्यों में किए जाते हैं, जिनकी सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। पण्य भावी संविदाओं के सौदे मान्यता प्राप्त बाजारों (एकसचेंज) के सदस्यों के बीच, उनके साथ और उनके माध्यम से किए जाते हैं। फिलहाल, वायदा संविदा (विनियमन) (एफसीआर) अधिनियम के अंतर्गत पण्य बाजारों (कॉमोडिटी एक्सचेंज) में 113 पण्यों की अनुमति है।

## भावी सौदों में एक्सचेंजों (बाजारों) की भूमिका

एक्सचेंज एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है, जो पूरे देश से उत्पन्न होने वाली बोलियों और प्रस्तावों को आमने सामने प्रस्तुत करता है। इससे सौदों के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ उत्पन्नण होती है। एक्सचेंज, समाशोधन, निपटान और पंच–निर्णय के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। एक्सचेंज, एक जोखिम प्रबंध प्रणाली स्थापित करके और निविदाओं के कार्य–निष्पादन की गारंटी देकर वित्तीय रूप से सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध करा सकते हैं।

## पण्य भावी बाजारों के भागीदार

- बचाव कर्ता (हेजर) वर्तमान या भावी आस्तियों में मूल्यों के उतार–चढ़ावों की जोखिम के प्रबंध के लिए भावी संविदाएं करते हैं। भंडारणकर्ता (स्टॉकिस्ट), निर्यातक, उत्पादक और कृषक ऐसे बचावकर्ताओं के उदाहरण हैं। उन्हें कुछ ऐसे लोगों (सटोरियों) की आवश्यकता होती है, जो प्रतिपक्षीय स्थिति स्वीकार करने के लिए तैयार हों।
- सटोरिये वे लोग है, जो हाजिर बाजार के किसी अनावरण (एक्सपोजर) के बिना, केवल लाभ कमाने के एकमात्र उद्देश्यो से सौदे करते हैं। वे मूल्यों के उतार–चढ़ाव में ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, जो उनके लिए अनुकूल हों। वे बचावकर्ताओं द्वारा अंतरित की जाने वाली जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। वे बाजार को चलनिधि प्रदान करते हैं।
- अंतरपणक (आरबिट्रेजर) एक साथ दो बाजारों में इस प्रकार क्रय और विक्रय करते हैं कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से ऊपर, लेन–देन की लागत से अधिक हो, जिससे जोखिम रहित लाभ होता है। अंतरपणकों के व्यवहार से विभिन्न बाजारों में मूल्यों में दोषों को दूर करने में मदद मिलती है।

## पण्य भावी बाजार के फायदे

वायदा/भावी सौदे दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं– मूल्य आविष्कार और मूल्य जोखिम प्रबंधन

### मूल्य आविष्कार

पण्य भावी संविदाओं में सौदे पारदर्शी होते हैं और इनमें बड़े स्तर पर सहभागिता से यह सुनिश्चित हो जाता है कि सर्वाधिक सफल भावी मूल्य का आविष्कार हो गया है। भावी संविदाओं के मूल्य, भविष्य में किसी समय पर मूल्यों की अग्रिम भविष्यवाणी करते हैं। दावेदारों के लिए यह व्यापार निर्णय लेने में एक उपयोगी निविष्टि (इनपुट) हो सकती है। भावी बाजारों से उत्पन्न मूल्य –संकेतों से कृषकों को फसलों के पैटर्न के संबंध में निर्णय लेने में मदद मिलती है। भविष्य के मूल्यों की भविष्यवाणी करने या उनके प्रचार के लिए उचित तंत्र के अभाव में किसानों को अपने निर्णय पिछली फसल के मूल्यों के आधार पर ही लेने पड़ते हैं, जिससे अधिक उत्पादन की स्थिति हो जाती है और फिर उसके बाद मूल्यों में गिरावट आती है।

### मूल्य जोखिम प्रबंधन

अधिकांश पण्यों में मूल्यों की जोखिम अर्थात मूल्य में विपरीत उतार–चढाव के परिणाम स्वरूप होने वाली हानियों से मूल्य जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। कोई व्यक्ति भावी संविदा करके, जिससे उक्त पण्य का मूल्य सुरक्षित हो जाता है (मूल्य बचाव या हेजिंग), मूल्य जोखिम से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। उत्पादक, व्यापारी एवं संसाधित करने वाले तथा निर्यातक/आयातक, मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए एक्सचेंजों के माध्यम से एक ऑन लाइन मंच का उपयोग करते हैं।

### वे मुख्य पण्य , जिनमें भारत में भावी सौदे किए जा रहे हैं:

- खाद्य तेलों के बीज और तेल – सरसों, सोया तेल, नारियल तेल, कच्चा पाम तेल आदि।
- खाद्य अनाज – गेंहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि।
- धातुएं – सोना, चाँदी, तावाँ, जिंक, अल्यूमिनियम, निकिल, सीसा, स्टील आदि।
- मसाले – हल्दी, काली मिर्च (पिपर), जीरा, इलायची, लाल मिर्च आदि।
- रेशा – कपास, जूट आदि।
- अन्य – चीनी, रबड़, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल आदि।

### बताएं सच या झूठ

1) बाजार वह स्थान है, जहाँ मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ कार्य नहीं करती हैं.....

2) कृषि पण्यों की मांग और आपूर्ति मौसम के अनुसार परिवर्तित होती है.....

# उलझे–पुलझे शब्द

| उलझे–पुलझे शब्द | संकेत | हल |
|---|---|---|
| वीवि दाभासं | मूल्यों के विपरीत उतार–चढाव के जोखिम से बचाव के लिए प्रयोग में आता/आती है | |
| संन्नप वित्दाव्यु | वायदा संविदा का प्रकार | |
| आभाग वीयो बारजा | भावी बाजार को विनियमित करने वाली केंद्रीय एजेंसी | |
| येटोसरि | वे व्यापारी, जिन्हें हाजिर बाजार का अनुभव नहीं होता | |
| कपणरअंत | अलग–अलग बाजारों में मूल्य दोष दूर करने में सहायक | |

1) भारत में मंडी/हाजिर बाजार की स्थापना और उनका विनियमन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है:
   क) केंद्र सरकार  ख) राज्य सरकार
   ग) भारत सरकार  घ) राज्य परिषद
2) वह संविदा, जिसमें माल की सुपुर्दगी और उनका मूल्य भुगतान करने की या तो तत्काल या 11 दिन के अंदर व्यवस्था है, वह कहलाती है:
   क) वायदा संविदा  ख) हाजिर भुगतान संविदा
   ग) हाजिर सुपुर्दगी संविदा  घ) हाजिर सुपुर्दगी भुगतान संविदा
3) वायदा संविदा वह संविदा है, जिसमें माल की सुपुर्दगी और उनका मूल्य भुगतान ..... दिन के बाद करना होता है:
   क) सात  ख) नौ
   ग) पंद्रह  घ) ग्यारह
4) ..... संविदा 11 दिन के बाद माल की सुपुर्दगी और उनका मूल्य भुगतान करने की संविदा है:
   क) हाजिर सुपुर्दगी संविदा  ख) वायदा संविदा
   ग) भावी संविदा  घ) वर्तमान संविदा
5) केंद्र सरकार द्वारा वायदा संविदाओं का विनियमन, वायदा संविदा अधिनियम.....के अंतर्गत किया जाता है:
   क) 1962  ख) 1972
   ग) 1942  घ) 1952
6) ..... संविदा एक प्रवर्तनीय करार है, जिसका मूल्य अंतर्निहित आस्तिक के मूल्य पर निर्भर करता है
   क) व्युत्पन्न  ख) पण्य
   ग) वायदा  घ) वर्तमान
7) .....भावी बाजार का विनियमन करता है:
   क) वायदा बाजार संविदा  ख) भावी बाजार आयोग
   ग) वायदा बाजार आयोग  घ) निधि बाजार आयोग
8) .....वे हैं, जो हाजिर बाजार के अनुभव के बिना व्यापार करते हैं।
   क) ब्रोकर  ख) सटोरिये
   ग) अंतरणक  घ) व्यापारी

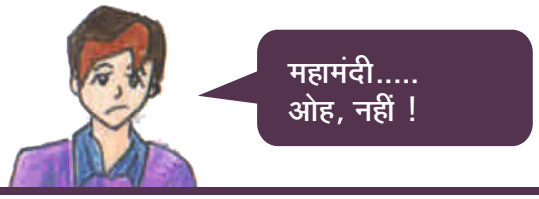


# भाग 1 : आर्थिक महामंदी

मंदी (रिसेशन) और महामंदी (डिप्रेशन) में यथार्थ रूप में क्या–क्या होता है, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद हैं। कुछ अर्थशास्त्री घटे हुए सकल घरेलू उत्पाद की दो या अधिक तिमाहियों को मंदी (रिसेशन) की परिभाषा देते हैं। किसी दिए हुए वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद (ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्टो अर्थात जीडीपी) कहलाता है। लोगों के जीवन स्तर की माप करने के लिए अक्सर प्रति व्यक्ति जीडीपी का प्रयोग किया जाता है।

आर्थिक मंदी का अर्थ आर्थिक कार्यकलापों में सामान्य कमी हो जाना होता है। यह व्यापार चक्र का एक भाग है। किसी एक समयावधि में अर्थव्यवस्था में जो उतार–चढ़ाव आते हैं, उसे व्यापार चक्र (बिजिनेस साइकल) के नाम से जाना जाता है। व्यापार चक्र को अर्थव्यवस्था के विस्तार और संकुचन की अवधियों के हिसाब से परिभाषित किया जाता है। विस्तार के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से वृद्धि होती है, जो सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन, बिक्री तथा वैयक्तिक आय में वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित होती है। संकुचन के दौरान अर्थव्यवस्था के कार्य–कलापों में कमी या संकुचन आता है। विस्तार की माप, पिछले बाजार चक्र के निम्नतम स्तर (बॉटम) से, चालू व्यापार चक्र के उच्चतम स्तर तक की जाती है जबकि संकुचन या मंदी की माप पिछले व्यापार चक्र के उच्चतम स्तर से चालू व्यापार चक्र के निम्नतम स्तर (बॉटम) तक की जाती है। समान्यतः मंदी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट
- औद्योगिक उत्पादन में गिरावट
- उच्चतर बेरोजगारी
- देश के लोगों द्वारा खर्च करने में कमी आना

कई लोगों का मानना है कि लगातार दो तिमाहियों के लिए सकल घरेलू उत्पाद में नकारात्मक वृद्धि मंदी की तकनीकी परिभाषा है। हालांकि, ऊपर उल्लेख की हुई अन्य विशेषताएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

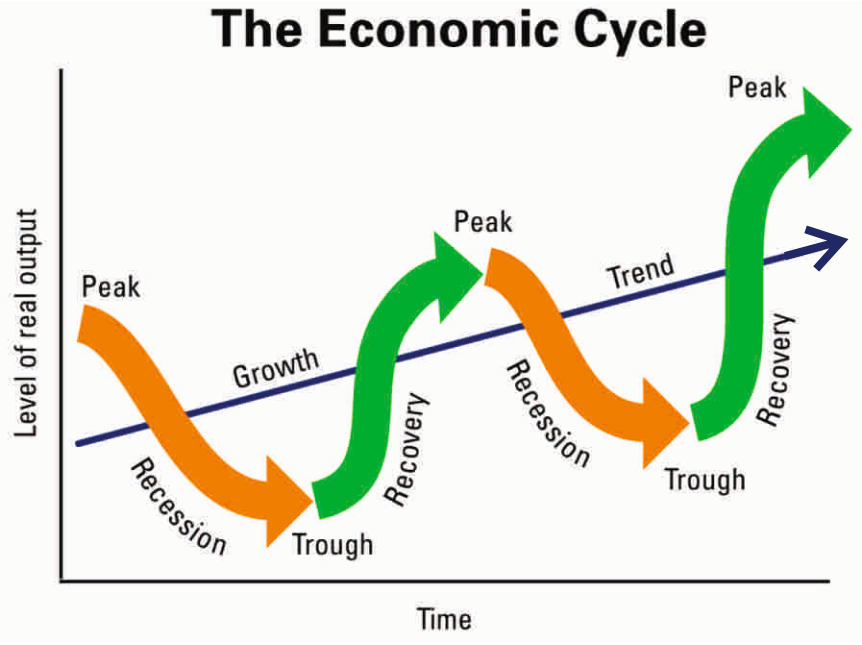

# भाग 2 :
# शेयरों में निवेश

आदि अपने छह मित्रों के साथ मेसर्स यूनीसर्व टैटूज लिमिटेड नामक कंपनी शुरू करना चाहता है। आदि रु.10,000 निवेश करता है और अपने मित्रों को रु.1,000 प्रति व्यक्ति निवेश करने के लिए आमंत्रण भेजता है, जिसे सभी मित्र स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार कंपनी की कुल पूँजी रु.16,000 है। यह राशि कंपनी की ईक्विटी कहलाती है। आदि कंपनी की ईक्विटी को 1600 समान भागों में विभाजित करने का निर्णय लेता है, जिसे प्रत्येक भाग रु.10 का होगा। ईक्विटी के इन 1600 भागों में से प्रत्येक भाग ईक्विटी भाग या ईक्विटी शेयर (या कंपनी का एक शेयर) कहलाता है। इस प्रकार 1600 ईक्विटी शेयरों से रु. 16,000 की कुल पूँजी बन गई है। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 है।

छह मित्रों में से प्रत्येक ने रु.1,000 दिए हैं, इसलिए प्रत्येक मित्र को 100 ईक्विटी शेयर मिलते हैं। आदि ने रु.10,000 निवेश किए हैं इसलिए उसे 1,000 शेयर प्राप्त होते हैं। वे सभी इस कंपनी के शेयर धारक बन गए हैं।

यूनीसर्व टैटूज का लगभग एक साल पूरा होता है और कंपनी का प्रत्येक शेयर धारक वर्ष के अंत में कंपनी से कुछ लाभ की घोषणा करने की उम्मीद करता है।

छह मित्रों में से एक प्रथम अपने सभी 100 शेयर बेचना चाहता है, क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है। परंतु प्रथम रु.1,000 से थोड़ा अधिक धन चाहता है क्योंकि उसका धन एक वर्ष तक निवेश रहा था। एक दूसरा मित्र षष्टरम, प्रथम को रु12 प्रति शेयर देने के लिए तैयार है क्योंशकि यह आशा है कि कंपनी अपने लाभ का कुछ भाग शेयर धारकों को भुगतान करेगी। इस प्रकार प्रत्येरक शेयर का बाजार (अर्थात् वह मूल्यछ, जिस पर बाजार में उक्तप शेयर उपलब्धे हैं) मूल्या रु.12 है। षष्टंम प्रथम को रु.1,200 का भुगतान करता है और उससे 100 शेयर खरीद लेता है।

शेयर के बाजार मूल्यय और अंकित मूल्यै में अंतर प्रीमियम कहलाता है। इस प्रकार षष्टम रु.2 प्रतिशेयर की दर से प्रीमियम का भुगतान करता है। यदि बाजार मूल्य, अंकित मूल्य से कम हो तो यह माना जाता है कि शेयर डिस्काउण्ट पर है।

पूरे वर्ष में कंपनी को रु.5,000 का अच्छा लाभ होता है और आदि रु.3200 शेयर धारकों में बाँट देने का निर्णय लेता है। प्रत्येक शेयर धारक, अपनी शेयर धारिता के अनुपात में रु.2 प्रति शेयर की दर से लाभ का हिस्सा प्राप्त करेगा। यह लाभांश कहलाता है। लाभांश का भुगतान शेयर के अंकित मूल्य के अनुसार किया जाता है।

**निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें :**

1) आदि द्वारा प्राप्त लाभांश कितना है ?

.....

.....

2) षष्टम को कितना लाभांश प्राप्त हुआ ?

.....

.....

# भाग 3 :
# आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)

**आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव**

व्यापारिक प्रतिष्ठान या कंपनियाँ प्रतिभूतियों के बदले (विनिमय) में बड़ी धन राशियाँ एकत्र करने के लिए सामान्यतः जनता के पास जाती हैं। प्रारंभ में, जनसाधारण को प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत किए जाने को आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) कहा जाता है।

**विपणनकर्ता बैंकर का चुनाव**

एसईबीआई (सेबी) से संबद्ध पंजीकृत वणिक (मर्चेंट) का चुनाव, किसी आईपीओ की दीर्घकालीन सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर ये, जनता को प्रतिभूतियों का विक्रय करने या क्रय करने और निवेशकों को प्रदान की गई वित्तीय सूचना का सत्यापन करने के उद्देश्य से कंपनी के व्यापार की जाँच करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

**विवरणपत्र दाखिल करना और प्रस्ताव दस्तावेज जारी करना**

कंपनी को अपने व्यापार, उसके वित्तीय इतिहास और भावी योजनाओं के बारे में विस्तृत सूचना का एक पंजीकरण विवरण सेबी को दाखिल करना चाहिए। एक बार सेबी के पास दाखिल होने पर यह विवरण आरंभिक विवरणपत्र हो जाता है। जरूरत होने पर सेबी उसमें कोई आवश्यक परिवर्तन करने के लिए सूचित करती है। एक बार सभी आवश्यक संशोधन हो जाने के बाद यह विवरण, कार्यालयीन विवरणपत्र या प्रस्ताव दस्तावेज हो जाता है। यह प्रस्ताव दस्तावेज जनता को यह निर्णय लेने में मदद के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि जनता प्रस्तावित शेयर स्टॉक की खरीद करना चाहती है।

**मूल्य आविष्कार**

आईपीओ जारी करने वाली कंपनी पहले से मूल्य नियत नहीं करती है बल्कि वह संभावित निवेशकों को एक मूल्य सीमा (प्राइस बैंड) देती है, जिसके अंतर्गत वे बोली लगाने के लिए पात्र हैं। निवेशक, शेयरों की संख्या और उस मूल्य का उल्लेख करते हुए, जिस पर वे शेयर क्रय करना चाहते हैं, आईपीओ के लिए बोली लगाते हैं। सभी बोलियों के मूल्य के आधार पर आईपीओ का अंतिम मूल्य निर्धारित किया जाता है।

**शेयरों का आबंटन**

शेयर मूल्य निर्धारित हो जाने के पश्चात् पूर्ण आधार या आनुपातिक आधार पर शेयरों का आबंटन किया जाता है। आबंटन की सूचना एक पत्र द्वारा निवेशकों को दी जाती है और आईपीओ जारी करने वाली कंपनी प्रत्येक निवेशक के अमूर्त खाते में, आबंटित शेयर जमा कर देती है। आंशिक आबंटन या शेयर आबंटित न होने पर कंपनी निवेशक के बैंक खाते में धन राशि वापस कर देती है। इसके बाद शेयर, व्यापार किए जाने हेतु उपलब्ध हो जाते हैं।

## उलझे–पुलझे शब्द

| उलझे–पुलझे शब्द | संकेत | हल |
|---|---|---|
| स्सक्टॉ | शेयर, डिबेंचर, बांड आदि | |
| धाकर स्सक्टॉ | शेयरों, डिबेंचरों, बांड आदि के धारक | |
| दीमं | अर्थव्यवस्था में गिरावट | |
| हादीमंम | अर्थव्यवस्था में लगातार दो या अधिक वर्ष तक जारी अत्यधिक मंदी | |
| क्रच व्यारपा | दीर्घकालीन वृद्धि की प्रवृत्तियों के अनुसार आर्थिक कार्यकलापों में विस्तार और संकुचन की अवधि | |
| रीबेरोगाज | ऐसी स्थितियाँ जब व्यक्ति को कोई काम या नौकरी नहीं मिल पाती | |

1) किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य.....कहलाता है।

क) डीडीपी
ख) सकल घरेलू उत्पाद (ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् जीडीपी)
ग) पीडीपी
घ) पीसीआई

2) ..... का प्रयोग लोगों के जीवन स्तर की माप करने के लिए किया जाता है।

क) प्रतिव्यक्ति जीडीपी
ख) राष्ट्रीय आय
ग) ग्रॉस डॉमेस्टिंक प्रोडक्ट
घ) डिमांड डॉमेस्टिक प्रोडक्ट

3) ..... के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से वृद्धि होती है।

क) विस्तार
ख) महामंदी
ग) मंदी
घ) वेतन वृद्धि

4) ..... के दौरान अर्थव्यवस्था में संकुचन आता है।

क) विस्तार
ख) महामंदी
ग) मंदी
घ) वेतन वृद्धि

5) यदि बाजार मूल्य, अंकित मूल्य से कम हो तो यह माना जाता है कि शेयर ..... है।

क) डिस्काउण्ट पर
ख) प्रीमियम पर
ग) सम मूल्य पर
ग) मध्यवर्ती

6) प्रारंभ में जनता को विक्रय हेतु शेयर प्रस्तुत किए जाने को ..... कहा जाता है।

क) आईपीओ
ख) बीपीओ
ग) सार्वजनिक प्रस्ताव शेयर निर्गम
घ) शेयर निर्गम

7) स्टॉक मूल्यों में ..... गति होती रहती है।

क) ऊपर की ओर
ख) नीचे की ओर
ग) स्थिर
घ) ऊपर–नीचे

8) किसी एक कंपनी के शेयरों में अपना समस्त धन निवेश करना बहुत..... है।

क) सुरक्षित
ख) आसान
ग) जोखिमपूर्ण
घ) सामान्य

# बीमा के फायदे

## व्यक्तियों के लिए

बीमा एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उस समय के लिए निरंतर आय की व्यवस्था कर सकता है, जब प्राकृतिक विध्वंश जैसी अनिश्चितताएं और बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु एवं वृद्धावस्था जैसी निश्चित घटनाएं या अवस्थाएं व्यक्ति की जीविका उपार्जन की क्षमता को बाधित कर देती हैं या नष्ट कर देती हैं। ये ऐसे मूलभूत खतरे हैं, जिनसे आय बंद हो जाती है, खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है या संपत्ति की क्षति जैसी हानियाँ हो जाती हैं। बीमा, मानव जीवन और उन आस्तियों की सुरक्षा से संबंधित है, जो आस्तियों के मालिक और उसके परिवार के सदस्यों के लिए लाभ और आय सृजित करते हैं। व्यापार की संपत्तियों अर्थात भवन संयंत्र और मशीनरी में बहुत बड़ी राशि का निवेश होता है। बीमा, आग, दुर्घटना, भूकंप आदि के कारण व्यापार की हानियों की अनिश्चितताओं को कम करता है।

## समाज के लिए

बीमा एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें थोड़े से लोगों की हानियों को कम करने के लिए बहुत से लोग अंशदान करते हैं। कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बाँट लेने का यह तरीका बीमा दर्शन का केंद्र बिंदु है। बीमा समावेशन से, बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने, अधिकाधिक उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य रक्षण तक पहुँच बनाने में और उसके परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ दिर्घायु में मदद मिलती है और इससे समष्टिगत रूप में सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है।

## अर्थव्यवस्था के लिए

सरकार को बुनियादी ढाँचे अर्थात सड़कों, सेतु, संचार तथा रेलवे लाइनों के वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें वृहत पूँजी निवेश की अपेक्षा होती है। क्योंकि बीमा, दीर्घ कालीन संविदाएं हैं इसलिए बीमाकर्ता, जिन्हें बड़ी संख्या में अपने पॉलिसी धारकों से प्रीमियम प्राप्त् होता है, अर्थव्यवस्था के लिए निवेश हेतु पूँजी का एक प्रमुख स्रोत बन गए हैं। गैर जीवन बीमा, आग, भूकंप, बाढ़, तूफान, प्राकृतिक आपदाओं, ईश्वरीय कार्यों आदि के कारण होने वाली हानियों से व्यापार और उद्योग को सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा के अभाव में व्यापार और अर्थव्यवस्था अपंग हो जाएगी।

## बैंकिंग और बीमा में अंतर

बीमा और बैंकिंग, वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। बैंक बचत करने और ऋणों के माध्यम से आस्तियाँ सृजित करने में मदद करते हैं, बीमा उन्हें बचाने के लिए निरंतर आधार पर अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- बैंकिंग के दो प्रमुख घटक – उधार प्राप्त करना और उधार देना, जबकि बीमाकर्ता के कार्य कलाप जोखिम एकत्रीकरण और एक बड़े समूह को जोखिम अंतरण कर देना है।
- बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था में संप्रेषित करते हैं, दूसरी ओर बीमाकर्ता, लोगों और उनके व्यापारों को प्रतिकूल अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करके आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- बीमा बैंकों के लिए भी सुरक्षा के साधन हैं क्योंकि यह ऋणों की मदद से सृजित आस्तियों को हुई हानि के मामले में बैंकर को सुरक्षा देते हैं। ऋण पर आधारित अनेक उत्पाद हैं:
    - गृह ऋण
    - वाहन ऋण

- औद्योगिक ऋण
- शैक्षिक ऋण
- लघु ऋणध्सूक्ष्मक बीमा

**जमा आधारित समूह बीमा पालिसियाँ**

- वैयक्तिक दुर्घटना सुरक्षा
- स्वास्थ्य सुरक्षा
- पैकेज सुरक्षा (दुकानदार और गृहस्वामी पॉलिसियाँ)

प्रकृति की प्रतिकूल लहरों से स्वयं को बचाने और जोखिमों के प्रबंध हेतु व्यक्ति को बीमा के फायदों को समझना होगा।

## उलझे–पुलझे शब्द

| उलझे–पुलझे शब्द | संकेत | हल |
|---|---|---|
| धाउ नारदे | किसी को वापसी की और अन्य शर्तों पर उसके काम के लिए धन देना | |
| रउधा नाले | किसी बैंक से धन लेना | |
| मखिजो | हानि की संभावना | |
| माबी | जोखिम से सुरक्षा देता है | |

1) बैंक बचत करने और ऋणों के माध्यम से आस्तियाँ सृजित करने में मदद करते हैं, बीमा उन्हें बचाने के लिए .... ..... प्रदान करते हैं।

क) सुरक्षा　　ख) कवच
ग) देयता　　घ) धन

2) बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ..... नीति को अर्थव्यवस्था में संप्रेषित करते हैं।

क) राजकोषीय　　ख) मौद्रिक
ग) विनियामक　　घ) सुरक्षा

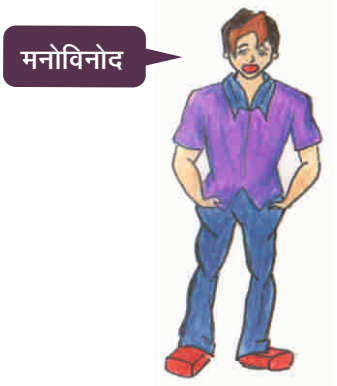

# भाग 1 :
# व्यापार (ट्रेड) विद्या

## स्टॉक (शेयर भंडार) में निवेश से पूर्व जानने योग्य तथ्य

**स्टॉक में निवेश, अपना धन निवेश करने के अनेक विकल्पों में से एक है।**

क्यों कि समाचार पत्र और मीडिया स्टॉक में निवेश के बारे में अनवरत चर्चा करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि धन निवेश करने का यही अकेला तरीका है। यह एक विकल्प मात्र है। लोगों को बैंक की नियतावधि जमा खातों, बांडों या बहुमूल्य धातुओं या विदेशी मुदा में निवेश करना चाहिए। इन सभी विकल्पों में कुछ स्तर तक जोखिम निहित रहता है, कुछ स्तर तक के प्रतिफल प्राप्त होते हैं और विभिन्न मात्राओं की चलनिधि होती है।

**स्टॉक निवेश में जोखिम अंतर्निहित है।**

स्टॉक अर्थात शेयरों के मूल्य ऊपर–नीचे होते रहते हैं। शेयर मूल्यों में यह निरंतर उतार–चढ़ाव एक जोखिम है। स्टॉक बाजार में निवेश करने के लिए निवेशक को इस जोखिम को स्वीकार करने हेतु तैयार रहना होगा।

**एक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) के पास एक खाता खोलें**

शेयरों में निवेश के लिए आपको किसी दलाली (ब्रोकरेज) फर्म अर्थात दलाल के पास एक व्यापार (ट्रेडिंग) खाता खोलना चाहिए। दलाली फर्म वह कंपनी होती है, जिसकी स्टॉक बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) में पैठ होती है जिससे वे आपसे अनुदेश प्राप्त करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज जाकर आपके अनुदेशों के अनुसार स्टॉक खरीदेंगे या बेचेंगे। जब आप किसी दलाली फर्म के साथ खाता खोलेंगे तो आमतौर पर आपको अपने खाते से कुछ धन राशि उनके पास जमा करनी होती है। एक बार उक्त धनराशि जमा हो जाती है तो फिर आप दलाल को, जो भी स्टॉक चाहें, उसकी निश्चित मात्रा खरीदने के लिए कह सकते हैं। आपके लेन–देन करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से दलाल आपसे शुल्क लेता है।

**अपना निवेश विविधि रूप में करें।**

अपना समस्त धन किसी एक ही कंपनी के स्टॉक में निवेश करना बहुत जोखिम भरा है। यदि उस स्टॉक का कार्य निष्पादन खराब रहा या कंपनी दिवालिया हो गई तो आपकी अधिकांश धन राशि या पूरा धन डूब सकता है।

**निवेश करने के लिए शेयरों के समुचित मिश्रित रूप पर विचार करें।**

शेयरों में निवेश करते समय एक सामान्य कार्य नीति यह है कि बहुत सी अलग–अलग कंपनियों में निवेश करें। यदि आप दस भिन्न–भिन्न कंपनियों के स्टॉक खरीदते हैं इसका अर्थ है कि आप धन हानि की जोखिम कम कर रहे हैं। यदि उनमें से कुछ कंपनियों के शेयर अच्छा निष्पादन नहीं कर रहे तो दूसरी कंपनियाँ उन कंपनियों के शेयरों की हानि को पूरा कर सकती हैं।

**लाभांश से आय**

निवेशक स्टॉक मूल्य के उतार–चढ़ाव में बहुत रुचि रखते हैं, वहीं वे लाभांश के बारे में भी रुचि रखते हें, जिसका अधिकाँश स्टॉक भुगतान करते हैं। लाभांश छोटी धन राशि होती हैं, जिनका भुगतान कंपनियाँ प्रत्येक शेयर धारक को करती हैं। लाभांश का धन स्टॉक के सामान्य मूल्य से अलग होता है।

**अभ्यास**

1) शेयरों में निवेश से पूर्व किसी व्यक्ति का ..... खाता होना चाहिए।

2) प्रस्ताव दस्तावेज का क्या अर्थ है ?

.....

.....

3) कंपनियाँ शेयर क्यों जारी करती हैं ?

.....

.....

# भाग 2 : स्टॉक बाजार और अर्थव्यवस्था

स्टॉक एक्सचेंज अर्थात स्टॉक बाजार, स्टॉक दलालों के माध्यम से निवेशकों और व्यापारियों (ट्रेडरों) को व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज भारत के बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जिन प्रतिभूतियों का व्यापार होता है, उनमें कंपनियों द्वारा जारी शेयर, व्युत्पन्न, डिबेंचर, बांड आदि होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, किसी राष्ट्र के आर्थिक ढाँचे को आधार प्रदान कर उसकी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज विस्तार के लिए धन एकत्र करने में कंपनियों की मदद करते हैं। वे व्यक्तियों को कंपनियों में निवेश करने की योग्यता उपलब्ध कराते हैं।

## स्टॉक बाजार, प्रतिभूति बाजार के लिए प्रथम स्तरीय विनियामक का कार्य करता है

स्टॉक बाजार, प्रतिभूति बाजार के लिए प्रथम स्तरीय विनियामक का भी कार्य करता है और प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के लिए विनियम लागू करता है। इससे आगे स्टॉक एक्सचेंज उन कंपनियों पर विभिन्न प्रकटीकरण एवं कंपनी संचालन की अपेक्षाएं लागू करते हैं, जिनकी प्रतिभूतियाँ उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होती हैं और वहाँ उनका व्यापार होता है। प्रत्येक ट्रेड (व्यापार) के लिए प्रतिपक्ष (काउण्टर पार्टी) का कार्य समाशोधन गृह या समाशोधन निगम करता है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं। यदि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ट्रेडिंग की प्रक्रिया की निगरानी करने के अपने कर्तव्य, का पूरी तरह से निर्वाह नहीं करते तो निवेश करने वाली जनता प्रतिभूति बाजार की निष्पक्षता और सुरक्षा में विश्वास खो देगी। यदि ऐसा हुआ तो उक्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सृजित की गईं सभी आर्थिक गतिविधियाँ घट जाएगीं और इससे समग्र आर्थिक गतिविधियाँ नीचे आ जाएंगी। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अत्यधिक विनियमित हैं। सभी भारतीय स्टॉक

एक्सचेंजों को, एसईबीआई से स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त होने की आवश्यकता होती है। एसईबीआई ने स्टॉक एक्सचेंजों के लिए विभिन्न शर्तें और अपेक्षाएं लागू की हैं।

1. **व्यापार का विस्तार**

   स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों को उनके विस्तार हेतु पूँजी एकत्र करने के लिए योग्यता प्रदान करते हैं। जब किसी कंपनी को धन एकत्र करने की आवश्यकता होती है तो वह अपने शेयर जनता को जारी कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर सूचीबद्ध करके ऐसा किया जाता है। निवेशक सार्वजनिक प्रस्तावों के शेयर खरीद सकते हैं और निवेशकों से एकत्र इस धन का कंपनी द्वारा परिचालनों का विस्तार करने, दूसरी कंपनी खरीदने, अतिरिक्त कामगार प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस सब से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलती है।

2. **व्यापक निवेश**

   स्टॉक एक्सचेंज, किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। छोटे या बड़े दोनों ही प्रकार के निवेशक किसी कंपनी के भविष्य में भागीदारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज का उपयोग करते हैं। यदि शेयरों के व्यापार (ट्रेडिंग) का केंद्रीयकृत स्थान नहीं होता तो औसत व्यक्ति के लिए निवेश करना संभव नहीं था।

   इन कंपनियों में निवेश करने की औसत व्यक्ति की सामर्थ्य से निवेशकों की संपत्ति में वृद्धि होती है। जब निवेशक अपना धन खर्च करते हैं तो इस बढ़ी हुई संपत्ति से अतिरिक्त कार्य–कलाप होते हैं।

3. **बढ़ती हुआ निवेशक वर्ग**

   स्टॉक एक्सचेंज, शेयर व्यापार की प्रक्रिया को व्यवस्थित करते और उसका विनियमन करते हैं। विनियमों और उस सुरक्षा के अभाव में, जो ये स्टॉक एक्सचेंज प्रदान करते हैं, बहुत कम लोग शेयरों में निवेश के इच्छुक होते। स्टॉक एक्सचेंजों की निगरानी के कारण औसत व्यक्ति को शेयरों में निवेश करने में आत्मविश्वास रहता है और इससे अधिकाधिक लोग निवेशक वर्ग में आते हैं।समय के साथ निवेशकों की संपत्ति में वृद्धि होती है, जिससे वे अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान कर सकते हैं।

अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंजों की अनेक भूमिकाएं हैं। इनमें निम्नलिखित भूमिकाएं शामिल हो सकती हैं:

**व्यापार के लिए पूँजी एकत्र करना**

स्टॉक एक्सचेंज, निवेश करने वाली जनता को अपने शेयर बेच कर विस्तार हेतु पूँजी एकत्र करने के लिए कंपनियों को सुविधा प्रदान करते हैं।

**बचतों को निवेश के लिए लगाना**

स्टॉक एक्सचेंज गृहस्थियों की बचतों को गतिशील बनाते हैं और व्यापारिक गतिविधियों के संवर्धन (बढ़ाने) हेतु उन्हें फर्मों की ओर अनुप्रेषित (रिडाइरेक्ट) करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि और मजबूत होती है।

**अर्थव्यावस्था का मापदण्ड**

स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर मूल्यों में उतार–चढ़ाव अधिकतर बाजार की शक्तियों के कारण होता है। अतः शेयरों के मूल्यों की और सामान्यतः स्टॉक संकेतकों की गति, अर्थव्यवस्था में सामान्य प्रवृत्ति की सूचक हो सकती है।

**अभ्यास**

प्रश्न 1. अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंजों की क्या भूमिका है ?

.....

प्रश्न 2. स्टॉक एक्सचेंज, अपने व्यापार का विस्तार करने में कंपनियों की मदद कैसे करते हैं ?

.....

प्रश्न 3. स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रत्यक्षतः नौंकरी दी जाती हैं। क्या आप सहमत हैं ?

.....

प्रश्न 4. यदि स्टॉक एक्सचेंज अपने कर्तव्य का पालन नहीं करें तो क्या होगा ?

.....

## उलझे–पुलझे शब्द

| उलझे–पुलझे शब्द | संकेत | हल |
|---|---|---|
| विगसंभा | वित्तीय आस्तियों का संग्रह | |

1) ..... निवेशकों और व्यापारियों (ट्रेडर) को व्यापार करने की सुविधा देता है।

क) स्टॉक एक्सचेंज ख) स्टॉक दलाल (ब्रोकर)
ग) एसईबीआई घ) सरकार

2) ..... प्रतिभूति बाजार के लिए प्रथम विनियामक का कार्य करता है।

क) स्टॉक एक्सचेंज ख) स्टॉक दलाल (ब्रोकर)
ग) एसईबीआई घ) सरकार

3) भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ..... द्वारा अत्यधिक विनियमित हैं।

क) सीबीआई ख) एसबीआई
ग) बीएसआई घ) एसईबीआई

4) निम्नलिखित में से क्या स्टॉक एक्सचेंजों की भूमिका नहीं है।

क) निवेशकों की बचतों को गतिशील बनाना ख) व्यापार हेतु पूँजी एकत्र करना
ग) अर्थव्यवस्था का मापदण्ड घ) भारतीय स्टॉक मार्केट का विनियमन

**एसईबीआई भारत में प्रतिभूति बाजार का विनियमन करता है।**

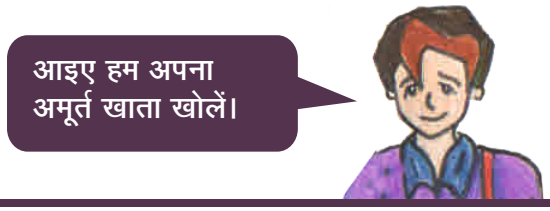


# व्यापार करना (ट्रेडिंग) और अमूर्त खाता

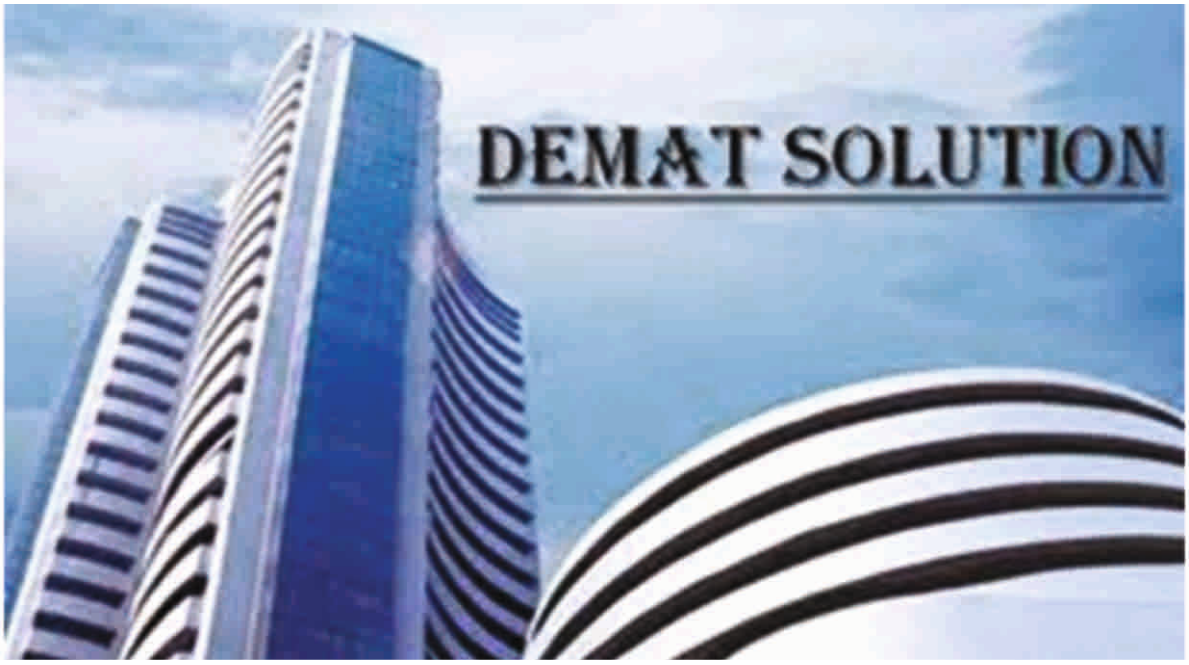


**प्रकरण अध्ययन**

रवी के पास रु.10,000 है और वह इसे निवेश करना चाहता है। परंतु उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह इस धन को कहाँ निवेश करे क्योंकि वह सोचता है कि यह बहुत छोटी राशि है। तब उसका दोस्त मोहन उसे सुझाव देता है कि वह इस राशि को शेयरों में निवेश करें। परंतु रवी को यह मालूम नहीं है कि शेयरों में कैसे निवेश किया जाए या शेयर बाजार में कैसे व्यवहार किया जाए। मोहन ने उसे सलाह दी कि वह एसईबीआई में पंजीकृत किसी स्टॉक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग खाता और एसईबीआई में पंजीकृत किसी निक्षेपागार साझीदार के पास एक अमूर्त खाता खोले। उसने ट्रेडिंग खाते और अमूर्त खाते के बारे में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी दी:

- स्टॉक में व्यापार करने के लिए एक ट्रेडिंग और एक अमूर्त खाते की आवश्यकता होती है।
- खाता खोलने से पूर्व आपको ट्रेडिंग और अमूर्त खातों की अवधारणाओं को समझ लेना चाहिए।
- ट्रेडिंग खाता आपको घर या कार्यालय में बैठकर शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है।
- डिमेट खाते से निवेशक को शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा मिलती है।

**अमूर्त खाते के संबंध में तथ्य**

- आप अनेक अमूर्त खाते खोल सकते हैं।
- अमूर्त खाता खोलने का कोई प्रभार नहीं है।
- प्रत्येक खाते के लिए अधिकतम 3 खाता धारक हो सकते हैं।
- खाता धारकों के नाम परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं।
- शून्य शेष की अनुमति है।

## सौंपा गया कार्य

1) शेयरों में व्यापार करने के लिए एक ..... खाते की आवश्यकता होती है।
2) अमूर्त खाते में ..... शेष हो सकता है।
3) एक अमूर्त खाते में ..... खाता धारक हो सकते हैं।
4) अमूर्त खाता खोलने की अपेक्षाएं सामान्य बैंक खाता खोलने की अपेक्षाओं से भिन्न हैं। (हाँ / नहीं) .....

# उलझे–पुलझे शब्द

| उलझे–पुलझे शब्द | संकेत | हल |
|---|---|---|
| र्तअमू ताखा | शेयर और प्रतिभूतियाँ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखी जाती हैं। | |
| कस्टॉ | शेयर, डिबेंचर आदि | |

1) स्टॉक में व्यापार करने के लिए हमें एक ..... खाते की आवश्यकता होती है।

क) अमूर्त ख) रिमेट

ग) बैंक घ) ऋण

2) अमूर्त खाता खोलने के प्रभार क्या हैं?

क) रु.1,000 ख) रु.1,500

ग) रु.2,000 घ) कोई प्रभार नहीं

3) कोई व्यक्ति ..... अमूर्त खाते खोल सकता है।

क) एक ख) दो

ग) अनेक घ) चार

हम अमूर्त खाता खोल कर विभिन्न शेयरों और स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हैं।

# एसईबीआई (सेबी) शिकायत निवारण

### सेबी शिकायत निवारण प्रणाली

सेबी ने निवेशकों की शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक केंद्रीयकृत वेब आधारित प्रणाली विकसित की है, जिसे एससीओआरईएस (सेबी कमप्लेंट रिड्रेसल सिस्टेम–स्कोर्स) के नाम से जाना जाता है। कोई व्यक्ति, जिसे सूचीबद्ध कंपनी से (जैसे– लाभांश की भुगतान न होना या प्रतिभूति के हस्तांतरण से संबंधित मामले) या किसी बाजार मध्यस्थ के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो वह एससीओआरईएस (स्कोर्स) का प्रयोग कर शिकायत दर्ज कर सकता है।

स्कोर्स किसी बाजार मध्यस्थ के विरुद्ध, जो सेबी के पास पंजीकृत हो, शिकायत प्राप्त कर सकती है। इन मध्यस्थों में शोध एवं प्रशिक्षण (आर एण्डे टी) एजेंट, संविभाग प्रबंधक, निक्षेपागार और उनके साझीदार, डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी), साख निर्धारण एजेंसियाँ, अभिरक्षक (कस्टोडियन), स्टॉक एक्सचेंज, वणिक बैंकर, आस्ति प्रबंध कंपनियाँ, सामूहिक निवेश योजनाएं, किसी निर्गम का बैंकर और दलाल (ब्रोकर) शामिल हैं।

स्कोर्स पर पंजीकृत शिकायत की सेबी द्वारा यह निर्धारित करने के लिए छान–बीन की जाती है कि शिकायत की विषय–वस्तु सेबी की कार्य सीमा में आती है। यदि यह सेबी की सीमा में आती है तो सेबी इस शिकायत को इस सूचना के साथ संबंधित संस्था/मध्यस्थ को अग्रेषित करती है कि वह निवेशक को लिखित जबाब दे। उक्त संस्थान या मध्यस्थ को, स्कोर्स में एक उचित समय सीमा के अंदर, जो 30 दिन से अधिक न हो 'की गई कार्रवाई' सूचना भी दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि वे विवादों को अपने स्तर पर 15 दिन के अंदर सुलझाएं, जिसके असफल होने पर एक्सचेंज की समाधान (काउंसिलिएशन) प्रक्रिया आरंभ होगी। निवेशक शिकायत निवारण समिति (आईजीआरसी) को आपस में मिल कर मामले का समाधान करने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। इस अवधि में समाधान न होने पर, निवेशक को दावा प्राप्य होने के मामले में आईजीआरसी दावे के मूल्य का अनुमान लगाएगी और उक्त सदस्य द्वारा चुनी गई पंचनिर्णय (विवाचन) की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक निवेशक को, निवेशक रक्षा निधि से कई चरणों में मौद्रिक लाभ प्रदान किया जाएगा।

## उलझे–पुलझे शब्द

| उलझे–पुलझे शब्द | संकेत | हल |
|---|---|---|
| स्कोर्स | सेबी शिकायत निवारण प्रणाली | |
| बीईएसआई | भारतीय प्रतिभूति बाजार का विनियमन करता है | |

1) सेबी ने निवेशकों की शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक केंद्रीयकृत वेब आधारित प्रणाली विकसित की है, जिसे ..... ..... के नाम से जाना जाता है।
   क) कोरस  ख) स्कोर्स
   ग) सेबी रिड्रेसल फोरम  घ) एससीओआरएएस

2) संस्था या मध्यस्थ को, स्कोर्स में एक उचित समय सीमा के अंदर, जो ..... दिन से अधिक न हो 'की गई कार्रवाई' सूचना भेजने की आवश्यकता होती है।
   क) 30  ख) 40  ग) 15  घ) 20

3) स्टॉक एक्सचेंजों से अपेक्षा की जाती है कि वे विवादों को अपने स्तर पर ..... दिन के अंदर सुलझाएं
   क) 30  ख) 40  ग) 15  घ) 20

राशि ! वर्ग पहेली हल करने का समय

हाँ, हम मजे से हल करेंगे।

# वर्ग पहेली

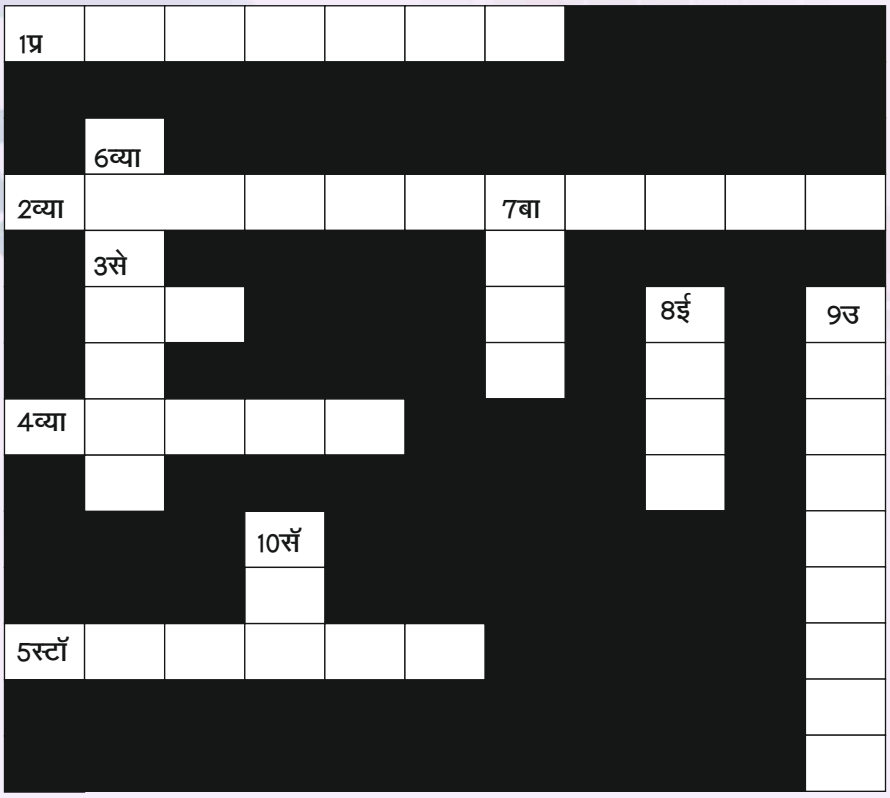


**बाँये से दाँये**

1. कंपनी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज, जिसके द्वारा लोगों को उसके शेयरों में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाता है।
2. इस प्रकार के बाह्य स्रोत कार्य में बुक कीपिंग, प्रारूप लिखना, कॉल सेंटर शामिल होते हैं।
3. सभी स्टॉक एक्सचेंज इस संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होने चीहिए।
4. एक अवधि विशेष के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार–ढ़ाव।
5. यह संस्था स्टॉक दलालों को ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करती है।

**ऊपर से नीचे**

6. वह वाणिज्य, जिसमें उत्पादक वितरकों को माल बेचते हैं।
7. किसी कार्य विशेष के लिए बा्ह्य व्यक्ति से संपर्क करना।
8. वाणिज्य का वह स्वरूप, जिसमें कोई फर्म इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करती है।
9. उपभोक्ताओं के बीच ई वाणिज्य लेन–देन।
10. पूरे बीएसई में मूल्यों का संकेतक और संवेदनशील सूचकांक का संक्षिपत रूप

आओ और वर्ग पहेली हल करें मुनाफ

खेल–खेल में सीखना कितना अच्छा लगता है !

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1मं | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | 5डि | ■ |
| 2ओ | | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| 3ब्रो | | | | ■ | 6व्यु |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 4ई | | | | ■ | |

**बाँये से दाँये**

1. आर्थिक कार्य कलापों में सामान्य गिरावट।
2. बीमा की यह योजना पॉलिसी धारकों के लिए न्यायालयों के बाहर लागत प्रभावी, दक्ष और निष्पक्ष रूप में शिकायतों का निवारण करने के लिए लागू की गई है।
3. वेब साइट खोलने के लिए प्रयोग होता है।
4. इससे कोई फर्म या व्यक्ति इंटरनेट पर व्यापार कर सकता है।

**ऊपर से नीचे**

5. स्टॉक ट्रेडिंग के लिए किसी व्यक्ति को एक व्यापार खाता और एक यह खाता चाहिए।
6. यह संविदा एक प्रवर्तनीय करार है, जिसका मूल्य निर्धारण, अंतर्निहित आस्ति के मूल्य से होता है।

# संक्षिप्ताक्षर

संक्षिप्ताक्षर समय

1. जीडीपी (स घ उ)
2. बी 2 सी
3. पीएफआरडीए (भ नि वि वि प्र)
4. सी2बी (उ से ब्या)
5. आईआरडीएआई (भा बी वि वि प्रा)
6. सी2सी (उ से उ)
7. एसईबीआई (भा प्र वि बो)
8. आई पी ओ (आ सा प्र)
9. बी 2 बी
10. बीपीओ (व्या प्र बा)

डेबिट कार्ड
महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, जयपुर द्वारा लिपिबद्ध किया गया
चित्रांकन : माधव गुप्ता, बाल भारती विद्यालय, रोहिणी, दिल्ली
क्रेडिट कार्ड
तनीशा पुरी

एक बार नियमित जमाराशि प्राप्त हो जाने के बाद हम जमाराशियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं।
हाँ, मैं यही सोच रही थी कि क्या जब भी हम खरीदारी के लिए निकलें तो क्या हमें हर बार नकदी साथ ले जानी होगी।
नहीं, मेरे डैडी को जब भी कोई भुगतान करना होता है तो वह एक प्लास्टिक कार्ड का प्रयोग करते हैं।
यह क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो सकता है, जिनसे हम नकदी के बिना वस्तुएं खरीद सकते हैं।
बैंक यह कार्ड जारी करता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसमें एक मूल्य भर देता है। ये निधियाँ आपके खाते से आहरित की जाती हैं।
पर यह भी कैसे संभव है।
नकदी के बिना दूसरे खातों में कैसे लेन–देन होता है।
एक चेक की तरह! तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि कुछ देशों में अब चेक के स्थान पर डेबिट कार्ड का ही प्रयोग होता है।
मुझे आश्चर्य है कि ऐसा किसी विकासशील देश में भी संभव है, जहाँ बाजार में लघु उद्योगों का प्रभुत्वर है।
हाँ, इसके लिए विक्रेताओं को अपनी दुकान पर एक हार्डवेयर (मशीन) लगानी होगी।
कौन जानता है, भविष्य में हम सभी प्रकार की खरीदारी के लिए हमें केवल साधारण सा एक कार्ड ले जाना होगा।

प्रस्तुति:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
दिल्ली
असतो मा सद्गमय

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र
National Centre for Financial Education